लोक-सभा

शनिवार,
१८ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

Chamber Lib. 18/X/23

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

खंड ७, १९५४

(१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र
१९५४

विषय-सूची

खंड ७—१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४

सोमवार १३ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सभा का कार्य	१२९३—१२९५, १३००—१३०७
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ते में गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठी व अश्रु गैस का प्रयोग	१२९५–१२९६
पटल पर रखे गये पत्र—	
बिजली के पीतल के लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प	१२९६
परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि.	१२९६–१२९७
शीशे की चादरें बनाने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७
साइकिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७–१२९८
सुरमा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना .	१२९८
रूई तथा बालों के पट्टे के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९८–१२९९
कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९९–१३००
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . . .	१२९९–१३००
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रस्तुत की गई .	१२९९
भारत में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित	१३०८–१३०९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	१३०९–१३११
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . . .	१३१२–१३७६

मंगलवार, १४ सितम्बर १९५४

विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . .	१३७७–१४६६

बुधवार, १५ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें .	१४६७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ता) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (प्रतिकर भत्ता) नियम, १९५४. .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४. . .	१४६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन	१४६८–१४६९
समिति के लिये निर्वाचन—नारियल जटा बोर्ड . . .	१४६९
चन्द्रनगर (विलय) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . .	१४६९
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . .	१४६९–१५५३
रेलवे प्लेटफार्मों पर रूसी प्रकाशनों की बिक्री . . .	१५५३–१५६४

बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन तथा भारतीय पुलिस सेवा) वेतन नियम १९५४ का परिशिष्ट	१५६५
राज्य-सभा से सन्देश	१५६५–१५६६
तारांकित प्रश्न संख्या २३२३—क के उत्तर की शुद्धि . .	१५६६
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों का नामनिर्देशन संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति	१५६७
सदस्य की दोष-सिद्धि	१५६७
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	१५६८
विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५६८–१६५८

शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका की सूचना दी गई	१६५९
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४—सम्मतियां प्राप्त हुई . . .	१६६०

दहेज निषेध विधेयक तथा दहेज का निषेध विधेयक—याचिका उपस्थापित की गई . . . . . स्तम्भ १६६०

बैंकों की अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य . . १६६१

विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १६६१–१७०८, १७१८-१७२०

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक —विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १७०९–१७१८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . १७२०–१७२६

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . १७२६

काजी विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . . . १७२७

अत्यावश्यक वस्तु (अस्थायी शक्तियां) संशोधन विधेयक, १९५४—वाद-विवाद स्थगित हुआ १७२८–१७४०

बनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त . . . १७४१–१७७२

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र–सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . १७७३

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पारित . . १७७३–१८५३

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १८५३–१८६०

सोमवार, २० सितम्बर १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १८६१–१८६२

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग, भारत, अंतिम आदेश संख्या १६, दिनांक ३० अगस्त, १९५४ . . . . . १८६२–१८६३

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १८६३

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत १८६३

स्थगन प्रस्ताव—

लाजपत नगर में विस्थापित व्यक्तियों पर लाठी चार्ज . . १८६४–१८६५

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक–पारित . १८६५–१९११

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १९११–१९३९

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १९३९–१९५४

मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

लाजपत नगर में नीलाम के अवसर पर कथित लाठी चार्ज १९५५–१९५७

पटल पर रखे गये पत्र—

सीमेन्ट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश १९५७

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण १९५७–१९५८

भारत के औद्योगिक वित्त निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन . १९५८

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित १९५८–१९७६

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—असमाप्त १९७६–२०५८

बुधवार, २२ सितम्बर १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . . २०५९

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—पारित . २०५९–२१२४

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा असमाप्त) २१२४–२१६६

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखा गया पत्र—

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवरस मिति के सामने दिये गये साक्ष्य २१६७

राज्य-सभा से सन्देश २१६७–२१६८

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखा गया . . २१६८–२१६९

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पारित . . . २१६९–२२३१

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—विचार करने तथा, परिचालित करने के प्रस्तावों पर चर्चा—असमाप्त . . २२३१–२२४४

शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन २२४५

	स्तम्भ
उन मामलों के विवरण जिन में भारतीय भंडार विभाग ने न्यूनतम राशि के प्राक्कलन पत्र (टेंडर) स्वीकार नहीं किये थे .	२२४५–२२४६
स्थगन प्रस्ताव——	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	२२४६–२२४८
लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना—इस्पात संयंत्र के बारे में रूस का प्रस्ताव	२२४८–२२४९
रेलवे बोर्ड के पुनर्निर्माण और पुनः संगठन के बारे में वक्तव्य .	२२४९–२२५१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक——विचारार्थ प्रस्ताव—स्वीकृत	२२५१–२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . .	२३१२
बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . .	२३१३–२३२१
हिन्दी विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——अस्वीकृत .	२३२१–२३५२
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—असमाप्त	२३५२–२३६६

शनिवार, २५ सितम्बर १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——	
दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग २) . .	२३६७
दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय	२३६७–२३६८
राज्य सभा से सन्देश	२३६८
समिति के लिये निर्वाचन—लोक-लेखा समिति . . .	२३६९–२३७०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित . .	२३७०–२४०५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	२४०५–२५०४

सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२५०५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित	२५०५
लोक-लेखा समिति—नवां प्रतिवेदन उपस्थापित. . . .	२५०६
जेल से संसद् सदस्य की रिहाई . . .	२५०६
समिति के लिये निर्वाचन——	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२५०६–२५०७
सभा का कार्य	२५०७

	स्तम्भ
कराधान विधियां (जम्मू तथा काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पारित	२५०७–२५२७
मध्यभारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पारित .	२५२८–२५३८
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त .	२५२८–२६२६

मंगलवार, २८ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश—	
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में	२६२७
पटल पर रखे गये पत्र—	
मसाला जांच समिति का प्रतिवेदन . . .	२६२७
तारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर की शुद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	२६२८
पुनर्वास वित्त प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तथा वक्तव्य .	२६२८–२६२९
केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ के अधीन अधिसूचनायें	२६२९
लोक-लेखा समिति—प्रतिवेदनों का उपस्थापन . . .	२६२९
स्थगन प्रस्ताव—	
बीमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल—अस्वीकृत .	२६२९–२६३१
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—स्वीकृत .	२६३२–२६६९
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित तथा पारित .	२६६९–२६७०
खाद्य तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट पर चर्चा . .	२६७०–२६८८
सेवाओं के नियमों के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	२६८८-२७५२
कलकत्ता पत्तन के उप-नौवहन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा . . .	२७५२–२७६०

बुधवार, २९ सितम्बर, १९५४

हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के निकट रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	२७६१–२७६८
पटल पर रखे गये पत्र—	
पंचवर्षीय योजना की १९५३-५४ की प्रगति का प्रतिवेदन .	२७६८–२७६९
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . .	२७६९
महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन	२७६९
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	२७६९–२७७१
वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन	२७७१
राज्य सभा से सन्देश	२७७१

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) बिधेयक पर रायें .	२७७१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२७७१
प्राक्कलन समिति—दसवां तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२७७२
समितियों के लिये निर्वाचन—	
लोक-लेखा समिति	२७७२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम . . .	२७७२
अनुपस्थिति की अनुमति	२७७२–२७७३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा—असमाप्त . .	२७७३–२८७८

बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर, १९५४

रांज्य सभा से सन्देश	२८७९
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्राक्कलन समिति द्वारा अपने नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सारांश और उन पर सरकार के विचार या की गई या की जाने वाली कार्यवाही	२८८०
इस्पात परियोजना सम्बन्धी प्रगति का अग्रेतर ब्यौरा देने वाला विवरण	२८८०–२८८३
कुछ राज्य उद्यमों के वार्षिक प्रतिवेदन, अन्तिम लेखे तथा सन्तुलन पत्र	२८८३–२८८४
पुनर्वास वित्त प्रशासन का लेखा-परीक्षित सन्तुलन पत्र तथा हानि-लाभ लेखा	२८८४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२८८४
लोक-लेखा समिति—दसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
याचिका समिति—चौथा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
जेल से सदस्य की रिहाई	२८८५
हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के समीप रेल दुर्घटना के बारे में अनुपूरक विवरण	२८८५–२८८६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—पुरःस्थापित . .	२८८६–२८८७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित .	२८८७
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत .	२८८७–२९५०
मोटरगाड़ी उद्योग	२९५०–२९७५
राज्य सभा से सन्देश	२९७५–२९७६

लोक-सभा

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन थे]

(कोई प्रश्न नहीं पूछा गया : भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

---

११ म०पू०

पटल पर रखे गए पत्र

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ द्वारा प्रविष्ट की गई समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८, की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अधीन अधिसूचनायें सीमा-शुल्क संख्या ६७ तथा ६८, दिनांक १७ जुलाई, १९५४, की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—३३९/५४]**.

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—क्रमशः

अध्यक्ष महोदय : अब सभा भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर

विचार करेगी। इस विधेयक के लिये कुल समय ६ घंटे रखा गया है। इस प्रकार इस विधेयक पर चर्चा लगभग ४-३० म० प० समाप्त हो जायेगी। तदुपरान्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक पर तीन घंटे तक विचार किया जायेगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि हम विचारार्थ प्रस्ताव, खण्डवार चर्चा तथा तृतीय वाचन के लिये कितना कितना समय रखें। मैं तो यह समझता हूं कि चूंकि खण्डवार चर्चा की अवस्था सब से अधिक महत्वपूर्ण होती है, अतः उस के लिये सब से अधिक समय रखा जाय। यह माननीय सदस्यों की इच्छा पर निर्भर है। जैसा वे चाहेंगे वैसा ही होगा। इस में मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। इस विधेयक के सम्बन्ध में थोड़े ही से संशोधन हैं।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड़-सोरठ) : मेरा निवेदन है कि इस विधेयक से सम्बन्धित संशोधन साधारण से हैं और विचारार्थ प्रस्ताव पर चर्चा करते समय ही उन सभी संशोधनों पर विचार करना होगा। अतः मैं समझता हूं कि इस अवस्था के लिये अधिक समय रखा जाना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : सच तो यह है कि इन संशोधनों पर अधिक समय नहीं लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर प्रस्ताव पर विचार करने के लिये कितना समय रखा

[अध्यक्ष महोदय]

जाय ? जो समय लग चुका है, उस को ले कर क्या तीन घटे का समय पर्याप्त होगा ?

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस --पूर्व) : मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये लगभग एक घंटा चाहिये । अतः मेरे विचार से इस के लिये चार घंटे का समय पर्याप्त होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

कई सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी स्थिति में ४ घंटे सामान्य चर्चा के लिये, आधा घंटा तृतीय वाचन के लिये और एक घंटा खण्ड-वार चर्चा के लिये रखा जाता है । अब मैं श्री टी० एन० सिंह से अपना भाषण जारी रखने के लिये कहूंगा ।

श्री टी० एन० सिंह : यह बात सर्व-विदित है कि जनता को इस चीज़ से भारी असंतोष है कि जिन लोगों ने बेइमानी से, चोरबाज़ारी से अतुल धन कमाया है वे करापवंचन करते रहे हैं और सरकार की तथा जांच आयोग की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं । सभी का यह मत है कि ऐसे व्यक्तियों ने बेईमानी से जो धन कमाया है, वह उन से ले लिया जाय । यही जांच आयोग का उद्देश्य भी था । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संशोधक विधेयक से उस उद्देश्य की पूर्ति होने जा रही है ।

मैं समझता हूं कि उक्त बेईमानी से कमाये गये लाभ के विषय में सभी का मत एक सा है । कोई यह नहीं चाहता कि ऐसा धन उस के कमाने वाले के पास छोड़ दिया जाय । इस विषय में सरकार भी बहुत उत्सुक है और इसीलिये उस ने एक अध्यादेश जारी किया है । इस के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । उस अधिनियम के सिद्धान्तों को इस सभा ने स्वीकार किया है और यदि किसी कारण उस का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करें । अतः वर्तमान स्थिति में सरकार संसद की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य कर रही है । अतः सरकार द्वारा एक अध्यादेश के जारी किये जाने का मैं स्वागत करता हूं ।

अब मैं उस अध्यादेश के परिणामों पर आता हूं । जहां तक हमें मालूम है जांच आयोग ने धारा ५(४) के अधीन ८ करोड़ रुपये का कर निश्चित किया था, जिस में से लगभग करोड़ २½ रुपये वसूल करने थे । उक्त अध्यादेश के जारी होने के बाद से सरकार ने इस में से २ करोड़ ४५ लाख रुपये वसूल कर लिये हैं । यह बहुत अच्छी प्रगति है । इस के लिये हमें सरकार को बधाई देनी चाहिये ।

अब हमें यह देखना है कि क्या इस विधेयक से वे त्रुटियां दूर हो रही हैं, जोकि मूल अधिनियम में थीं और क्या तलाशियों एवं कर निर्धारण आदि के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां भी दूर होंगी । दूसरी बात हमें यह देखनी है जो शक्तियां आदि उस अधिनियम के अधीन प्राप्त थीं, वे उन व्यक्तियों को दी जा रही हैं या नहीं, जिन के ऊपर इस संशोधक विधेयक के अधीन उत्तरदायित्व आयेगा । मैं आशा करता हूं कि सभा ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि ३१ दिसम्बर १९४७ तक आयोग को जितने मामले भेजे गये, उन की जांच के फलस्वरूप यदि यह पता चले कि करापवंचन के मामले भी हुए थे, तो आयोग उन मामलों की भली प्रकार जांच कर सकता है और बाद में कर निर्धारित किया जा सकता है । क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई

है ? मेरा निवेदन यह है कि उस समय आयोग को इस सम्बन्ध में जो बही खाते आदि की जांच करने की शक्तियां प्राप्त थीं, वे अब उस से इस संशोधक विधेयक के द्वारा छीनी जा रही हैं। मैं तो समझता हूं कि यह लखपतियों और करोड़पतियों की सहूलियत और उन के हित में किया जा रहा है। उच्चाधिकारियों तक को इस सम्बन्ध में तलाशी आदि का अधिकार न देना बहुत अनुचित है। गरीबों के साथ तो कठोरता बरती जाती है, परन्तु अमीरों के साथ यह नम्रता क्यों दिखाई जा रही है। हम तो चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार को और अधिक शक्तियां प्राप्त हों। अतः मेरा तो यही निवेदन है कि और अधिक नहीं तो सरकार इस संशोधक विधेयक को मूल आयोग के समान स्तर पर ही रखे और सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को पूरे अधिकार दे। यह अत्यन्त आवश्यक है। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई थी कि इस विधेयक के खंड २ के उपखंड (१क) के अनुसार आय-कर अधिकारियों को इस बात की छूट रहेगी कि वे १९३९ से १९४६ तक के उन सभी मामलों की जांच कर सकें जहां कि कम कर निर्धारण किया गया है। आयकर जांच आयोग अधिनियम के अनुसार तो केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई हो सकी थी जिन का कि हवाला ३१ दिसम्बर १९४७ तक दिया गया था। यहां तक तो इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं किन्तु उद्देश्य तथा कारणों के विवरण से पता चलता है कि इस विधेयक के अनुसार केवल उन्हीं मामलों पर विचार होगा जिन की कि सूचना आयोग द्वारा दी जायगी अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच आयोग द्वारा जिन मामलों की सूचना ३१ दिसम्बर १९४७ तक नहीं दी गई थी उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार क्या यह विधेयक सरकार को देता है ? ताकि उन व्यक्तियों को भी जिन के नाम ३१ दिसम्बर १९४७ तक नहीं दिये जा सके थे उन्हें इस बात का पता चल जाय कि उन के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जायगा और वे बच नहीं सकेंगे। कुछ करदाताओं को शिकायत है कि उन के कुछ साथी जिन्हों ने करापवंचन के सभी हथकंडे अपनाये थे वे जांच पड़ताल से इसलिय बच गये हैं कि उन के मामले आयोग को नहीं भेजे गये। उन का तर्क यह है कि चूंकि वे लोग बच गये हैं अतः अन्य व्यक्तियों को भी इस से मुक्ति मिल जानी चाहिये। बजाये इस के कि वे एक ईमानदार आदमी की तरह यह कहें कि जो बच गये हैं उन्हें दंड मिलना चाहिये अथवा करापवंचन के हथकंडों से उन्हों ने जो धन बचाया है उस की निन्दा करें वे यह दावा करते हैं कि हमें भी दंड नहीं मिलना चाहिये क्योंकि अन्य व्यक्ति दंड से बच गये हैं। मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता।

मैं यह कह सकता हू कि अधिनियम का यह संशोधन सम्भवतः अकेला हमारी अधिक सहायता नहीं करेगा। हमें यह देखना होगा कि मामले की जड़ क्या है ? हमारे संविधान में इस विभेद का स्पष्टीकरण होता है। इस का प्रयोग ईमानदार व्यक्तियों के विरुद्ध तथा समाज-विरोधी व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होना चाहिये। अतः हमें यह देखना है कि कुछ बेईमान व्यक्तियों द्वारा संविधान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। यदि कोई कमी है तो उस कमी को दूर करना चाहिये ताकि ईमानदार और बेईमान व्यक्ति में सरकार अन्तर कर सके। इसलिये आप अपने अधिकारियों को अधिक अधिकार दें, यदि उन्हें अधिक अधिकार नहीं दे सकते तो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को दे दें। यदि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को भी ये अधिकार नहीं देना चाहते तो उच्च अधिकार वाले आयोग को ये अधिकार दें। ऐसे ही अधिकार

[श्री टी० एन० सिंह]

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को दें ताकि वह ऐसे व्यक्तियों के गोदाम, उन की किताबों की देखभाल कर सके और बैंकों को उन के लेखा देने का आदेश दे सके। बैंकों द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर बहुत सी चीज़ों का पता चल सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

कुछ ऐसे मामले थे जिन की सूचना केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को संभवतः २६ जनवरी १९५० तक दे दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार उस समय तक यह अधिनियम बिल्कुल ठीक था। अब प्रश्न यह है कि ऐसे मामलों में क्या होगा जिन में वास्तविक वसूली के लिये आदेश नहीं दिये गये थे अथवा २६ जनवरी १९५० के बाद आदेश दिये गये थे ? उन तिथियों में जिन व्यक्तियों पर आयोग के प्रतिवेदन का प्रभाव पड़ा ऐसा प्रतीत होता है कि वे अब बच गये हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि २६ जनवरी १९५० से पहले आयोग ने जो कुछ भी किया वह अब भी मान्य है और ऐसे मामलों की सुनवाई होनी चाहिये। यदि इस में कोई सन्देह की बात है तो माननीय वित्त मत्री से मैं कहूंगा कि वे इसी संशोधन विधेयक में स्पष्ट करें। यह बहुत ही आवश्यक है।

ज़मींदारी उन्मूलन, विभिन्न प्रकार के सम्पत्ति अधिकारों, मध्यस्थ व्यक्तियों को हटाने के लिये सरकार ने जो कार्य किये हैं उन की सभी ने प्रशंसा की है और चहुं ओर उन का स्वागत किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि ज़मींदारियों को समाप्त किया गया है उसी प्रकार इन व्यापारियों या कर अपवंचन करने वालों को भी समाप्त किया जाना चाहिये। क्या सरकार इस पुनीत काय को उन व्यक्तियों से जिन्हों ने कि बेईमानी कर के रुपया बचाया है या कर बचाया है, शुरू करेगी ?

यह जानते हुए भी कि ऐसे लोग हम धोखा दे रहे हैं, हम ने उन्हें दण्ड देने का प्रयत्न नहीं किया है। मैं जानना चाहता कि सरकार इस वि य में ध्यान दे रही है या नहीं। यदि ऐसा न हुआ, तो ये लोग सदैव बच निकलेंगे।

दूसरी बात यह है कि आय कर जांच अधिनियम में यह उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति अपने धन के बारे में सच सच बता देते हैं, तो उसे कोई दण्ड नहीं दिया जा गा, चाहे उस से पहले उस ने कितना ही झूठ बोला हो। किन्तु वे उस समय अपना भेद खोलते हैं जब वे समझ लेते हैं कि इस के अलावा अब कोई चारा नहीं है। माननीय वित्त मंत्री से मेरा यह निवेदन है कि वे इस विधेयक में स प्रकार का संशोधन अवश्य करें कि जो लोग अपने धन का रहस्य बहुत देर से बतलायें उन्हें दण्ड दिया जाये।

न शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं। जिस अध्यादेश का स्थान यह विधेयक लेने वाला है उस अध्यादेश के भी मैं पक्ष में था। साथ ही मेरे पूर्ववक्ता ने जो यह कहा है कि आय-कर से बचने वालों को कठोरतम दण्ड मिलना चाहिये, उस से भी मैं सहमत हूं।

किन्तु वे यह कहते हैं कि आय-कर जांच अधिनियम में जो शक्तियां थीं वे इस में होनी चाहियें, यह बात मुझे नहीं जंचती, क्योंकि वह अधिनियम तो युद्धकाल में एकत्र की गई धन-राशियों का पता लगाने के लिये बनाया गया था और अब हम सामान्य

स्थिति के लिये आय-कर अधिनियम में यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। आय-कर अधिकारी को हम धारा २२ के अन्तर्गत यह अधिकार दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति के लिये वह इस निर्णय पर पहुंचे कि उसे आय-कर देना चाहिये इस व्यक्ति को वह इस के लिये नोटिस दे सकता है। आय का निश्चय करने के लिये वह १ सितंबर १९३९ से ३१ मार्च १९४६ के बीच में किसी भी वर्ष की आय की जांच कर सकता है।

आय-कर जांच आयोग को जांच करते समय यदि कुछ ऐसे मामले मिलें जिन की जांच करवाने की आवश्यकता हो, किन्तु केन्द्रीय सरकार ने वे उसे सौंपे न हों, तो आयोग को यह अधिकार था कि वह ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता था और उन के विषय में केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन भेज सकता था और सरकार के लिये उन मामलों को भी उस आयोग को सौंपना अनिवार्य हो जाता था।

इस विधेयक में लिखित शब्दों से, मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि सन् १९३९ से १९४६ तक के सब मामले इस के अन्तर्गत आ जायेंगे चाहे आयोग ने उन के लिये प्रतिवेदन दिया हो या न दिया हो।

दूसरी बात मैं प्रस्तावित उपधारा (१क) (२) के विषय में कहना चाहता हूं जिस में उन लोगों की आय तथा लाभ के सम्बन्ध में निर्देश है जो कर निर्धारण से बच गये हैं तथा जिन की आय १ लाख रुपये या इस से अधिक है। इस के लिये अच्छा तो यह होता कि माननीय वित्त मंत्री ने हमें यह बताया होता कि कितने प्रतिशत मामले ऐसे हैं जिन में सम्बन्धित लोगों की आय १ लाख रुपये से अधिक है। इस सूचना से हमें काफी लाभ होता। संभवतः यह १ लाख रुपये की सीमा इसलिये बांधी गई है कि सरकार अभी छोटे छोटे मामलों में हाथ नहीं डालना चाहती। किन्तु मैं पूछता हूं कि यदि ९९,००० रुपये का मामला हो, तो भी क्या सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी ?

श्री टी० एन० सिंह : संविधान सभा ने जब यह विधेयक पारित किया था, तो उस में इस स्थान पर 'बड़ी रकम' शब्द रखे गये थे। उस समय इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की थी।

सरदार हुक्म सिंह : जैसा मैं ने कहा है, अब हम सामान्य स्थिति के लिये नियम बना रहे हैं, युद्धकाल के लिये नहीं।

अन्त में मुझे फिर यही कहना है कि जो लोग प्रारम्भ में या कुछ निश्चित समय में अपने धन का हाल बता दें उन से तो समझौता कर लिया जाय, किन्तु जो बाद में पकड़े जायें, उन्हें अवश्य दण्डित करना चाहिये।

श्री सी० सी० शाह : यह विधेयक इसलिये आवश्यक हो गया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आय-कर जांच आयोग-अधिनियम के कुछ भाग को अवैध घोषित कर दिया है। वह अधिनियम एक विशे स्थिति में पारित किया गया था। आयोग को यह अधिकार था कि जो मामले केन्द्रीय सरकार ने उसे नहीं सौंपे उन के विषय में भी वह उसे प्रतिवेदन भेज सकता था और सरकार को वे मामले आयोग को सौंपने पड़ते थे। उच्चतम न्यायालय ने इस भाग को अवैध घोषित कर दिया है, अतः संशोधन करने की आवश्यकता हुई। इतना ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि संभवतः धारा ५ (१) भी अवैध बताई जाय।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : न्यायालय अभी स पर विचार कर रहा है।

श्री सी० सी० शाह : मैं ने तो केवल अपना मत प्रगट किया है। मैं समझता हूं कि

[श्री सी० सी० शाह]

स तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक बनाया गया है ।

मेरे विचार से इस विधेयक के अन्तर्गत आय-कर अधिकारी वह कार्य नहीं कर सकेंगे, जो आय-कर जांच आयोग ारा किया गया है । आय-कर जांच आयोग के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी, किन्तु अब वह शक्ति कहां है ? अब तो मामला उच्चतम न्यायालय तक लड़ा जा सकता है ।

आय-कर जांच आयोग का कार्य ३१ मार्च १९५६ तक समाप्त हो जायेगा । उस के बाद आय-कर अधिकारी को नोटिस देन का अधिकार नहीं होगा ।

यह उचित ही ह कि एक विशेष परिस्थिति के लिये जिस वस्तु का निर्माण किया गया हो, उस की उस स्थिति के बाद आवश्यकता नहीं रहती । फिर भी हम देखते ह कि आय-कर से बचन के सकड़ों मामले उपस्थित होते रहेंगे । इस विषय में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स बुराई को सदा के लिय दूर करन की व्यवस्था की जाय । जिस प्रकार समवाय-विधि का पुनरीक्षण किया जा रहा है उसी प्रकार आय-कर अधिनियम का भी पुनरीक्षण कर के इसे अधिक सरल और समयोचित बना दिया जाये ।

एक बात और कह कर म बैठ जाऊंगा । धारा ५ की उपधारा ४ के अवैध हो जाने पर उस से सम्बन्धित ३६९ मामले थे । अवैध घोषित होन से पहले ही ३२ मामले निबट चुके थ । शेष मामलों में या तो समझौता हो गया था या उन के विषय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था । कुल मामले ५ क ोड़ ८१ लाख पये के थ, जिस में से २ करोड़ ४२ लाख पये सरकार ने समझौते से वसूल कर लिये हैं । म समझता कि धारा ५ की उपधारा ४ के अवैध हो जाने से ये समझौते रद्द होंगे और सरकार को वसूल किया हुआ धन वापस नहीं लौटाना पड़ेगा क्योंकि जिस धारा के अन्तर्गत समझौता होता है उस में यह उपबन्ध भी है कि समझौता हो जाने पर उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती ।

कुछ सदस्यों ने यह संशोधन रखा है कि आय-सीमा १ लाख रुपये के स्थान पर १० हजार रुपये रख दी जाय । इस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां १० हजार या २५ हजार या ५० हज़ार का प्रश्न है वहां तो सामान्यतया धारा ३४ लागू होगी । यह एक लाख रुपये की राशि वह धन-राशि नहीं है जो आय कर के रूप में दी जानी चाहिये थी, बल्कि यह वह धन-राशि है जिस पर आय-कर दिया जाना चाहिये था । दोनों में अन्तर है ।

१२ बजे मध्यान्ह

श्री गाडगील : इस काल में प्राप्त एक लाख रुपये से कम आय के बारे में क्या है ?

श्री सी० सी० शाह : यदि उन मामलों की सूचना नहीं दी गई है या वह धारा ३४ के अधीन फिर नहीं लिये जा सकते हैं, तो वे करनिर्धारण से बच जाते हैं । धारा ३४ के अन्तर्गत हम ने करनिर्धारण के ऐसे मामलों को दुबारा आरम्भ करने का उपबन्ध किया है । पन्द्रह से अधिक वर्ष व्यतीत होने पर भी करनिर्धारण के कार्य को फिर आरम्भ करना कर निर्धारी के लिये या जन साधारण के लिये उचित नहीं होगा । इसी कारण सरकार ने १ लाख रुपये की सीमा रखी है ।

दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण संशोधन वह है जिस में पृष्ठ २ पर १९ से ४१ तक की पंक्तियों को, जिन में निर्णय करने का उल्लेख है, हटाये जाने का कहा गया है। मैं नहीं जानता कि क्या इच्छा यह है कि सरकार को इन मामलों को निबटाने का कोई अधिकार न हो ? हमें यह महसूस करना चाहिये कि कुछ सीमा तक ये मामले असाधारण हैं। यदि कोई करनिर्धारी मामले का निबटारा करना चाहता है और सरकार निबटारे करना उचित समझती है, तो क्या इच्छा यह है कि इतने पर भी कोई निबटारा नहीं होना चाहिये ? वास्तव में मैं निबटारे के इस अधिकार को करनिर्धारी तथा सरकार दोनों के लिये जांच पड़ताल के अधिकार की अपेक्षा अधिक लाभदायक समझता हूं। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वह यथासम्भव अधिक से अधिक निबटारे करने का प्रयत्न करे।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुप्पुर): श्रीमान्, जब हम सम्पदा शुल्क विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, तब उस ओर के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि धनिक वर्ग अच्छे वकीलों को नियुक्त कर के अभियोग लड़ कर इस विधि से बच सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि वह अभिव्यक्ति वास्तव में सत्य हो रही है। मैं ऐसे बहुत से मामलों को जानता हूं जिन में स्वयं लोगों ने बता दिया है परन्तु फिर भी उन्हें परेशान किया जाता है और धनिक वर्ग अभियोग लड़ कर इस से बच जाते हैं। मैं ने सुना है कि कलकत्ता के वकील कहते हैं कि यह विधेयक उन्हें धारा ५(१) को छिन्न भिन्न करने का साधन प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा है तो यह बहुत बुरी बात है। हम देखते हैं हम जो रात दिन विधान बनाते हैं उन के आधार पर धनिक वर्ग अभियोग लड़ कर उन से बच जाते हैं, निर्धनों को भुगतान करना पड़ता है और सरकार धनिक वर्ग से हार जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिये। किसी भी देश में ऐसा होना, बुरी बात है।

खण्ड (१क) (२) में यह धनराशि एक लाख निर्धारित की गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी धनराशि क्यों निर्धारित की गई है ? मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं कि इस का तात्पर्य १ लाख रुपये की आय से है न कि १ लाख रुपये के कर से। परन्तु अपने देश के लगभग दस लाख करनिर्धारियों में एक लाख रुपये या इस से अधिक की आय के करनिर्धारी बहुत कम होंगे। ऐसे निर्धन देश में धारा (१क) (२) के अधीन एक लाख रुपये की छूट-सीमा निर्धारित करने का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता है। इस के अतिरिक्त, मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या वे मामले, जो आरम्भ हो चके ह, (१क) (२) के अधीन लाये जा रहे हैं या यह केवल नये मामलों पर ही लागू होते हैं ?

अब, मैं (१ख), (१ग) तथा (१घ) पर आता हूं। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि निबटारा करने की प्रवत्ति, और ऐसे आधार पर निबटारों को स्वीकार करने की सरकारी विभाग की क्षमता, जिन्हें वे राज्य के लिये ठीक समझते हैं, ऐसी बातें हैं जिन का इस विधि में उपबन्ध अवश्य होना चाहिये। परन्तु मैं आप से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति निबटारे के अनसार भुगतान करता है, परन्तु बाद में धारा ५(१) भी छिन्न भिन्न हो जाती है, तो निबटारा करने वालों पर अभियोग फिर से आरम्भ नहीं किये जाने चाहिय। देश के वर्तमान वातावरण तथा परिस्थितियों में, जिन में यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत से लोग निबटारा करना चाहते हैं। परन्तु वे निबटारा नहीं करेंगे क्योंकि

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

जो निबटारा करते हैं उन्हें हानि होती है और जो नहीं करते हैं वे बच जाते हैं।

मैं ने यह कहते सुना है कि प्राप्त हुआ आय कर उस धन का लगभग आधा है जो सरकार को मिलना चाहिये था। कहने का अभिप्राय यह है कि आधा कर बचा लिया गया है। इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में कर का अपवंचन किया जाता है। मैं जानना चाहता हू इस सम्भावना की समाप्ति के लिये क्या कायवाही की गई है ? हम चाहते हैं कि कर की पाई पाई वसूल हो, क्योंकि हमें अपनी अनेकों योजनाओं के लिये धन की बड़ी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि कर से बचने की सम्भावनाओं को समाप्त करने के लिये कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय।

मैं स्वेच्छा से आय को बताने के कुछ मामलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आप जानते हैं स्वेच्छा से आय को बताने के लिये एक प्रार्थना की गई थी और इस के उत्तर में बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी था। परन्तु उन के मामले कई वर्षों से अनिश्चित पड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग इस मामले में सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, उन्हें कर अपवंचन में विश्वास रखने वालों की अपेक्षा अधिक दण्ड दिया जाता है। केवल बहुत धनी ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिये विधि कड़ी होनी चाहिये, क्योंकि इस के परिणामस्वरूप राज कोष में अधिक राजस्व आता है। परन्तु ये लोग ही कर से बचते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि अब जो विधि बनाई जाय वह सर्वथा पूर्ण होनी चाहिये और हमें अल्प-आय वालों के साथ सहानुभूतिपूर्वक तथा अधिक आय वालों के साथ कड़ा व्यवहार करना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं समस्या को एक दृष्टि से, अर्थात् भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा ३४ में परिवर्तन करना उचित है या नहीं, देखता हूं। मैं ने उच्चतम न्यायालय का निर्णय पढ़ा है और मैं इस में व्यक्तिगत गर्व का अनुभव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने वही तर्क दिये हैं, सिवाय एक को छोड़ कर, जो मैं ने इस सभा में अपने भाषणों में दिये थे। आय-कर जांच आयोग स्थापित करने के लिये सन् १९४७ में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था, मैं ने उस का विरोध किया था। इस का कारण यह था कि मैं ने उस समय बताया था कि आयोग को दिये जाने वाले अधिकार पर्याप्त नहीं थे। मैं ने कहा था कि ऐसी परिस्थितियों में आयोग से उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी जो सरकार चाहती है। अगले वर्ष मैं ने देखा कि सरकार ने अधिक अधिकार देने के लिये अन्य विधेयक प्रस्तुत किया और वह उसी आधार पर था जो मैं ने १९४७ में बताया था। परन्तु वे अधिकार और उन्हें कार्यान्वित करने की प्रणाली कुछ इस प्रकार की थी कि मुझे इस बात का सन्देह हुआ कि इस से देश की साधारण विधि बिगड़ जायेगी। और आज मैं वह बात प्रत्यक्ष देख रहा हूं। जब मैं ने श्री टी० एन० सिंह को इस बात की पुष्टि करते सुना कि देश की साधारण विधि में परिवर्तन होना चाहिये और १९४८ में आय-कर जांच आयोग को जो विस्तृत अधिकार दिये गये थे वे देश की साधारण विधि में सम्मिलित कर दिये जाने चाहियें, तो मेरा सांस नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर रह गया। यदि यह अधिनियम केवल उन मामलों पर लागू होता जिन में यह सिद्ध हो गया था कि कर का अपवंचन किया गया था,

तो मुझे अत्यधिक हर्ष होता और मैं इस का केवल समर्थन ही नहीं करता अपितु और भी अधिक कड़े अधिनियम बनाये जाने का समर्थन करता । परन्तु मैं यह भी अनुभव करता हूं कि यदि इन अधिकारों को साधारण कर निर्धारियों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है, तो यह अत्यन्त बुरे हैं । सन् १९४७ में, जब श्री लियाक़त अली खां ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था और ये प्रस्ताव रखे थे, तो हम में से कुछ ने यह कहा था कि वाणिज्यिक-जगत के लिये ये बम्ब के गोले जैसे हैं । इस के साथ ही साथ यह भी अवश्य कहना चाहिये कि लोगों ने यह महसूस किया था कि उस समय इतना कर अपवंचन किया जाता था कि प्रत्येक का यह मत था कि मुनाफ़ाखोरों को स्वतंत्रतापूर्ण विचरने देना अनुचित था ।

मैं चाहता हूं कि इस सरकार का राज कोष भर जाये । अन्यथा, स्कूल, अस्पताल आदि खोलने के लिये और वह सब कुछ करने के लिये जो पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत हो रहा है, सरकार से कहना कहां उचित है ? इस के साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि राज कोष अवैधानिक साधनों द्वारा न भरा जाये । मैं चाहता हूं विधि सब पर समान रूप से लागू हो चाहे कोई हत्या करने वाला हो और चाहे भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२३ के अनुसार अपराधी हो ।

घी बनस्पति बन बैठा है । सन् १९३९-४५ में जबकि प्रस्तुत अधिनियम का प्रादुर्भाव हो रहा था, तो लोगों ने उस दूध को अन्य वस्तु में बदल दिया और उसे हीरे-मोतियों के मोल बेचा । कुछ व्यक्तियों ने पर्याप्त धन कमाया । अधिकतर व्यक्तियों ने जो सट्टेबाज़ थे टाट उलट दिये और समस्त धन गंवा बैठे । १६ वर्षों के पश्चात् आप यह चाहते हैं कि उन के पास जो कुछ बचा है उसे वह उगल दें । अधिकांश व्यक्तियों की परिस्थितियां बदल गई हैं ; जो लखपति थे वह आज निर्धन हो गये हैं ।

लेकिन मेरा उद्देश्य कर से बचने वाले व्यक्तियों की हिमायत करना नहीं है । मैं उन की वकालत नहीं कर रहा हूं । परन्तु इन सब बातों के लिये उत्तरदायी है कौन ? क्या उस समय सरकार सत्तारूढ़ नहीं थी ? मैं जानता हूं कि उस समय हमारी सरकार का राज नहीं था । १९४७ तक विदेशी सरकार थी जो इस प्रकार के दुष्कृत्यों को प्रोत्साहन दे रही थी । इस के पश्चात् १५ अगस्त, १९४७ को हम ने इन सब अपराधियों को मुक्त कर दिया था क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रसन्नता में हम उन के अपराधों को एक अंश तक क्षमा कर देना चाहते थे । १९४७ में एक अधिनियम पारित किया गया जो निरर्थक था ; १९४८ में एक और अधिनियम पारित किया गया जिस ने कुछ अंश तक शिकंजा मजबूत किया । सरकार ने कुछ मामले जांच आयोग को निर्देशित किये हैं । धारा ५(४) के सम्बन्ध में एक अनुचित बात थी । जो प्राधिकार यह मालूम करता है कि अमुक व्यक्ति अथवा सार्थ ने अपराध किया है उसी प्राधिकार को कर-निर्धारी के विरुद्ध प्रमाण एकत्रित करने और उस के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार देना उचित नहीं है । जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में आयोग ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उन के मामलों पर विचार करने के लिये एक अलग आयोग होना चाहिये । दुर्भाग्यवश यह बात स्वीकार नहीं की गई थी ।

धारा ३४ के अनुसार करनिर्धारी अपनी ग़लती के लिये आठ वर्ष तक विभाग के प्रति उत्तरदायी है । हमारे देश के आय-कर विभाग के पास पर्याप्त अधिकार हैं और यदि पूर्ण सावधानी से काम लिया जाये तो वह विधि की अवज्ञा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है । यदि कोई

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

व्यक्ति वास्तविक तथ्य प्रकट नहीं करता है तो उस के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही की जा सकती है । इस प्रकार की शक्ति का कभी उपयोग नहीं किया गया है । कठिनाई यह है कि आय-कर पदाधिकारी को कोमल होना पड़ता है और कठोर भी । यदि विधि को उचित रूप से लागू किया जाये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के आयोग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । यदि आय-कर अधिनियम के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का उचित रूप से उपयोग किया जाये तो मेरा दावा है कि कठोर उपायों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी । क्या यह सच नहीं है कि आय-कर विभाग के अधिकांश पदाधिकारी भ्रष्ट थे और वह इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना चाहते थे ? परन्तु अब समय बदल गया है । मेरा अनुमान है कि आयकर पदाधिकारी पहले की अपेक्षा अधिक ईमानदार हैं ।

प्रस्तुत विधेयक में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया गया है । यह सब पर लागू होगा । आय-कर विभाग ने निर्धन व्यक्तियों को सांत्वना देने की दृष्टि से यह उपबन्ध अधिनियमित किया है कि "आय अथवा लाभ जो किसी वर्ष अथवा किन्हीं वर्षों में करनिर्धारण से बच गया है, एक लाख रुपया अथवा इस से अधिक हो ।"

एक माननीय सदस्य : इस का अर्थ यह है कि आप एक लाख रुपये की सीमा नहीं चाहते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा निवेदन है कि यह विभेदपूर्ण है । यह भेद इसलिये किया गया है कि निर्धन व्यक्तियों के पास आज कोई लेखा नहीं है और वे आय कर चुकाने की स्थिति में नहीं हैं । लोग अपनी लेखा पुस्तकों को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे कभी यह नहीं सोचते थे कि भविष्य में उन के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

दांडिक विधि में कोई सीमा नहीं है । एक व्यक्ति आज अपराध करता है और २० वर्ष पश्चात् उस के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । लेकिन दीवानी के मामलों में अवधि की सीमा है । आय कर से बचने का मामला दीवानी से सम्बन्धित है ।

एक व्यक्ति ने १६ वर्ष पूर्व जो अपराध किया है उस के विरुद्ध आज कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये । मैं उन व्यक्तियों की अवस्था का अनुभव करता हूं जिन के पास इस समय कुछ नहीं है और जिन की जीवन-परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन हो गया है । यदि उस समय उन से कर वसूल किया जाता तो वह इसे आसानी से दे सकते थे लेकिन अब बहुत से व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं बचा है । यदि उन के पास जायदाद है तो हमें कुछ मिल सकता है लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने ५ लाख अथवा १० लाख रुपये तक का आय-कर नहीं दिया है और उस के पास आज कुछ भी नहीं है तो इस से कोई लाभ नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें तो कोई हानि नहीं होती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमें धारा २ की ओर देखना चाहिये । यह भ्रामक है तथा उस का प्रभाव स्पष्ट नहीं है । उस का अर्थ है कि यदि किसी वर्ष १३,००० रुपये अथवा १४,००० रुपये का कर अपवंचन किया गया हो तो उन के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी । उस में किसी विशिष्ट वर्ष का उल्लेख नहीं है । यदि १९३६-४६ के ८ या ९ वर्षों में एक लाख रुपयों का कर अप-

वंचन किया गया हो तो ऐसा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । यदि १९३६-४६ की पूरी अवधि को जोड़ा जाये तो सात वर्षों से अधिक हो जायेंगे और एकत्रित आय के १ लाख रुपया हो जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । यह धारा ३४ में सन्निहित प्रचलित विधि के विरुद्ध है । यह भेदजनक है तथा असंविधानिक हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कथन है कि वह इस विचारधारा को सदन के समक्ष बराबर व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन उन के भाषणों का सरकार पर इतने वर्षों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो यह सम्भव नहीं है कि अभी उन के एक घंटे के भाषण से उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सरकार ने अनेक सुझाव स्वीकार किये हैं । सन् १९४७ में उस ने विधि में परिवर्तन किया था । सन १९४८ में मेरे संशोधन स्वीकार किये गये थे । सन १९४८ में मैं ने जो संशोधन यहां प्रस्तुत किये थे उन्हें अब उच्चतम न्यायालय ने मान लिया है ।

सरकार से मेरा निवेदन है कि उसे भारत की आय-कर विधि में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये । आप इस अवधि को पन्द्रह वर्ष करना चाहते हैं । यह ठीक नहीं है । मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी रकम को पचा ले जो वस्तुतः सरकार अथवा जनता की है । इन उपबन्धों को आप केवल उन्हीं मामलों में लागू कीजिये जो धारा ५(४) के अधीन आप के समक्ष प्रस्तुत किये गये हों । ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही न की जाये जिन में जांच आयोग ने कुछ नहीं किया है । आप ऐसे मामले में कार्यवाही कर सकते हैं जिस में स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हो गया हो कि व्यक्ति विशेष ने ग़लती की है । अनेक देशों में कोई अवधि नहीं हैं जबकि हमारे यहां ८ या ४ वर्ष है । दीर्घ समय से यह विधि हमारे देश में लागू है, केवल अपनी स्वेच्छा के आधार पर हमें उस में परिवर्तन नहीं करना चाहिये । मेरा तो विचार है कि ऐसे मामलों में भी जबकि इस बात का विश्वास हो जाये तो भी कर-निर्धारी को सन्देह का लाभ मिलना चाहिये । लेकिन यदि आप यह अनुभव करते हैं कि रुपया वसूल किया जा सकता है तो आप उसे अवश्य वसूल कीजिये । लेकिन यह असामान्य व्यवस्था है और इसे ऐसे ही मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिये । किन्तु उचित यही है कि इस प्रकार के मामलों की संख्या न्यूनतम हो ।

श्री गाडगिल : श्रीमान्, मुझे आश्चर्य है कि नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक आज़ादी तथा कतिपय अधिकारों की परिपक्व अवस्था में भी बेईमानी से प्राप्त किये गये लाभों को संरक्षण देने का प्रयत्न किया जा रहा है । ईमानदार व्यक्ति को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है ।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि प्रचलित समयावधि के कारण कोई व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकें नष्ट कर सकता है । ईमानदारी से कमाये गये धन के सम्बन्ध में यह उचित है किन्तु समाज को हानि पहुंचा कर बेईमानी का अवलम्बन करते हुए जिस व्यक्ति ने लाखों रुपये कमाये हैं उस के लिये यह दलील उचित नहीं है ।

युद्ध काल में अनेक लोगों ने सन्देहयुक्त और स्पष्ट रूप से बेईमानी का सहारा ले कर करोड़ों रुपये कमाये हैं । मेरा विचार है कि जांच अधिकरण को शक्ति दिये बगैर प्रस्तुत विधेयक प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकता है । जिस पुलिसमैन के पास डंडा नहीं है अथवा जिसे गिरफ्तार करने की

[श्री गाडगिल]

शक्ति प्राप्त नहीं है मेरी सम्मति में वह पुलिसमैन किसी स्वागत-पदाधिकारी अथवा ट्रेवलिंग एजेण्ट से बढ़ कर नहीं है ।

मुझे एक डाक्टर का उदाहरण मालूम है । उसे युद्ध काल में सैनिकों के लिये औषधियों और अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था । इस कार्य के लिये उसे बहुत अधिक मात्रा में कुनैन और चीनी दी जाती थी । किन्तु उस ने इन वस्तुओं को अपेक्षित उपयोग में न ला कर उन को चोर बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया । कुनैन के स्थान पर पिसा हुआ चॉक और ग्लूकोज के स्थान पर सस्ती चीनी का प्रयोग कर के उस ने लगभग ६० लाख रुपया कमाया । सहसा उस की मृत्यु हो गई किन्तु उस के उत्तराधिकारियों से रुपया वसूल कर लिया गया क्योंकि उन्हों ने उक्त राशि का दायित्व स्वीकार कर लिया था ।

प्रस्तुत विधेयक में आयकर सम्बन्धी सामान्य विधि जितनी ही शक्ति दी जा रही है । मेरे मित्र ने कहा कि सामान्य शक्तियों का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है । इन असामान्य परिस्थितियों में सामान्य शक्तियां अपर्याप्त रहेंगी । मेरा विचार है कि इस के लिये असामान्य शक्तियां दी जानी चाहियें । सामान्य आय कर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जांच करने पर अधिक उपयोगी परिणाम नहीं निकलेंगे ।

जहां तक समझौता सम्बन्धी परियोजनाओं का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि जांच अधिकरण के साथ किये गये समझौते अधिक उदार और सहिष्णु हैं । मुझे एक ऐसा उदाहरण याद है जिस में एक व्यक्ति ने जिस के बारे में कहा जाता था कि उस ने करोड़ों रुपये कमाये थे, १ करोड़ १० लाख रुपयों में अपना मामला तय कर लिया । यह रुपया किश्तों में जमा करना था और वह भी इस शर्त पर कि जब उसे भविष्य में लाभ हो ।

जब तक कि जांच आयोग को प्रभावोत्पादक शक्तियां न दी जायें, इस विधेयक का कोई अधिक लाभ नहीं होगा । इन लोगों के साथ नर्मी का व्यवहार नहीं करना चाहिये । जैसा कि जांच आयोग ने सिफ़ारिश की है, यदि आय-कर की साधारण विधि को अधिक कड़ा बना दिया जाये, तो यह अधिक अच्छा होगा । मैं आशा करता हूं कि पर्याप्त शक्तियां देने वाले इस उपबन्ध के साथ, इस विधेयक को पारित कर दिया जायेगा और संसद् को सरकार से यह प्रार्थना करनी चाहिये कि आय-कर अधिनियम को अधिक कड़ा बनाने के लिये एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाये ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से स्पष्ट है कि यह विधेयक इसलिये पुरःस्थापित किया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने आय-कर अधिनियम की धारा ५ (४) को शक्ति से परे घोषित किया है । यदि यह विधेयक प्रस्तुत न किया जाता तो वे मामले जो धारा ५ (४) के अन्तर्गत आय-कर जांच आयोग को निर्दिष्ट किये गये थे, करारोपण से बच जाते । इस सदन में कोई भी यह नहीं पसन्द करेगा कि यद्ध से अनचित लाभ उठाने वाले कर से बच जायें । भारत के महा अभ्यर्थी ने कहा है कि यह अधिनियम वास्तव में उन लोगों पर लागू होने के लिये था, जिन्हों ने युद्ध से अनुचित लाभ उठाया था या जो करारोपण से बच गये थे । उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी है कि यह केवल इन लोगों तक सीमित नहीं बल्कि उन सब लोगों पर लागू होता है जिन्हों ने सम्भवतः करापवंचन किया हो । मानन्नीय न्यायाधीशों की राय में सरकार ने

कोई वर्गीकरण नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि यह स्पष्ट कर दिया गया होता कि यह धारा केवल विशेष अवधि में अनुचित लाभ उठाने वालों पर लागू होती है, तो इसे वैध घोषित किया जाता। मेरा सदन से यह निवेदन है कि इन लोगों तक पहुंचने के लिये आय-कर अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करनी चाहियें। यदि ऐसी बात है तो मुझे इस विधान पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो बात कही है, उस में भी काफ़ी सच्चाई है। आय-कर जांच आयोग अधिनियम की धारा ५(४) के अन्तर्गत, ३६९ मामले शरू किये गये थे। इन में से २२४ मामले निबटा दिये गये हैं और जांच आयोग ने देखा कि इन मामलों में ५॥ करोड़ रुपये का प्रश्न है। इस में से २॥ करोड़ रुपये वसूल किये जा चुके हैं। यदि अब इरादा यह है कि शेष ३॥ करोड़ रुपये वसूल किये जायें, तो हमें सरकार को ऐसा करने की शक्ति देनी चाहिये किन्तु इस से अधिक नहीं। संभव है कि सरकार को शेष राशि वसूल करने में कुछ कठिनाइयां हों। अतः इस प्रयोजन के लिये सदन का प्रत्येक सदस्य सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिये तैयार है। किन्तु क्या यह उचित या युक्तियुक्त है कि अब इस विधेयक का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया जाये। यह विधेयक उन मामलों तक सीमित रहना चाहिये, जो शेष रह गये हैं। किन्तु सरकार को अधिक शक्ति हाथ में ले कर अन्य मामले इस के अधीन नहीं लाने चाहियें। इन मामलों को पुनः शुरू करना उचित नहीं होगा। इस विधेयक का उद्देश्य धारा ५ (४) को वैध बनाना है। ऐसा करने के लिये सरकार को और राजस्व प्राधिकारियों को पूरी शक्तियां प्रदान करनी चाहियें। सदन को और देश को बताना चाहिये कि इस के द्वारा सब पर हाथ डालने का इरादा नहीं। केवल युद्ध के दौरान में अनुचित लाभ उठाने वालों पर, जिन के विरुद्ध धारा ५(४) के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी थी, हाथ डालने का इरादा है। किन्तु इस विधेयक का कार्यक्षेत्र क्यों बढ़ाया जाये? पहली बात तो यह है कि आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी। १० हज़ार या १२ हज़ार की राशि बहुत अधिक नहीं है। दूसरे लोगों से अब यह क्यों कहा जाये कि १९५४ में वे अपने १९३९, १९४० और १९४१ आदि के हिसाब दिखायें? यह उचित नहीं है। धारा ३४ को बिना विभेद के लागू करना चाहिये।

अगली बात जिस की ओर मैं माननीय उपमंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि आप यह खंड क्यों रखते हैं कि ३१ मार्च, १९५६ के बाद कोई सूचना नहीं दी जायेगी। आयोग ने सूची को अन्तिम रूप दे दिया है और ६५ प्रतिशत मामले निपटा दिये हैं। आप इन सब मामलों को जानते हैं। मेरा निवेदन है कि आप को इस से बहुत छोटी अवधि रखनी चाहिये और अपने लेखे समाप्त कर देने चाहियें। धारा ३४ के अन्तर्गत छपी हुई सूचनायें मौजूद हैं और इन्हें आसानी से १ दिन के अन्दर दिया जा सकता है। सरकार के पास पूरी सूची है। सदन के लिये यह उचित नहीं होगा कि वह अन्य लोगों को जोकि आय-कर जांच आयोग अधिनियम के क्षेत्र से बाहर हैं इस के अन्तर्गत लाने की शक्ति प्रदान करे। आप इस अवैध विधान को अवश्य वैध बनायें किन्तु इस के आगे तो नहीं जाना चाहिये। जैसाकि मैं ने कहा है, ३६९ मामलों में से २२४ तो निपटाये जा चुके हैं। लगभग १५० मामले शेष हैं। जो मामले निपटाये जा चुके हैं, उन के सम्बन्ध में तो राशि वसूल करनी चाहिये। १५० शेष मामलों के सम्बन्ध में जांच आयोग कार्यवाही नहीं कर सकती। यह कार्यवाही राजस्व प्राधिकारियों को करनी चाहिये, किन्तु इस के आगे नहीं जाना चाहिये।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

आयोग ने कभी यह मांग नहीं की कि अन्य लोगों को क्षेत्राधिकार में लाने के लिये अधिक शक्ति प्रदान की जाये ।

श्री बंसल : (झज्जर रेवाड़ी) उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कठिनाई के कारण यह विधेयक रखना पड़ा है अन्यथा इस का कोई महत्व नहीं है । मैं श्री टी० एन० सिंह तथा काका साहेब गाडगिल की इस बात से सहमत हूं कि कर का भुगतान न करने वालों साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिये । यहां तो हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर ही विचार करना है । इस संसद् ने जो अधिनियम बनाया है उस में कुछ विभेद आ गया है और विधान सभा ने उच्चतम न्यायालय को कुछ शक्ति दे दी थी । इसी शक्ति का उपयोग करने तथा उस अवगुण को बताने में उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल उचित कार्य किया है ।

उच्चतम न्यायालय ने धारा ५(४) का निर्देश करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने आय-कर का भुगतान नहीं किया है और उस से बचने का प्रयत्न किया है, तो उसे अन्ततोगत्वा धारा ३३ के अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्मुख जाने तथा आय-कर पदाधिकारी द्वारा दिये गये तथ्य-निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है । किन्तु धारा ५(४) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है । महा अभ्यर्थी का कहना ह कि आयोग न्यायाधिकरण के ही समान है क्योंकि उस में एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तथा दो और उत्तरदायी व्यक्ति होंगे । उन्हों ने यह भी कहा कि हमारी सम्मति में आयोग की रचना से ही पर्याप्त सुरक्षा नहीं हो सकेगी । उच्चतम न्यायालय ने यही विभेद बताया है । अब सरकार का कर्तव्य इसी कमी को पूरा करना है । इस में कठिनाई यह है कि आय-कर जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत धारा ५(४) के अनुसार केवल उन्हीं मामलों का निर्देश किया जा सकता है जिन के विषय में आय-कर जांच आयोग को इस बात का कुछ प्रमाण मिले कि ये मामले सरकार की दृष्टि से बच गये थे । विद्यमान संशोधन के अन्तर्गत इन सभी मामलों को फिर से लिया जा सकता है ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : तो फिर यह निरापद विधेयक नहीं है ।

श्री बंसल : आप मेरी बात तो सुनिये । मैं उन मामलों को फिर से चलाये जाने का विरोध नहीं करता हूं जिन में आय-कर का भुगतान नहीं किया गया है वरन् बात तो यह है कि आय-कर पदाधिकारी को यह पता ही नहीं कि किन मामलों को फिर से चलाया जाय ? वह तो १९३९ से १९४५ के ही मामलों को फिर से चलायेंगे । शायद उन के पास इस का कोई लेखा भी नहीं होगा । क्योंकि चार-पांच वर्षों से अधिक पुराने लेखे रखने की किसी से आशा भी नहीं की जा सकती । यदि आय-कर पदाधिकारी के पास किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में पक्का सबूत हो तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

इस उपबन्ध विशेष के बारे में मुझे आशंका इस बात की है कि आय-कर पदाधिकारी इस का दुरुपयोग भी कर सकते हैं । अतः मैं यहां सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि केवल वे ही मामले फिर से चलाये जायें जिन के विषय में या तो जांच आयोग को पता चला हो या सरकार को पता लगा हो कि इन में आय-कर बचाया गया है । यदि सरकार निगरानी रखेगी तो अधिक नुकसान नहीं हो सकेगा । अतः केवल वे ही मामले फिर से चलाये जायें जिन में सरकार को

तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को इस बात का पक्का सबूत मिला हो कि काफी आय-कर का भुगतान नहीं किया गया है ।

मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि अध्यादेश में केवल दो ही धारायें थीं जबकि इस विधेयक में एक खण्ड और जोड़ दिया गया है। इस उपखण्ड ३ का उद्देश्य कम्पनियों की जांच करने का अधिकार देना है । धारा ५ के उपखण्ड (४) का उद्देश्य यह था कि केवल गैरसरकारी कम्पनियों तथा फर्मों के ही लेखों की जांच की जाय । इस खण्ड ३ के द्वारा आय-कर पदाधिकारियों को अंश-भागियों की आय तथा लेखों की भी जांच करने का अधिकार दिया जाता है । इस से और भी कठिनाई उत्पन्न होगी क्योंकि यह हो सकता है कि उन की साझेदारी बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी हो । यह भी हो सकता है कि बहुत सी कम्पनियों में आय के साठ प्रतिशत का बटवारा ही न हुआ हो । अतः इस खण्ड को विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : इस प्रकार का विधान सभा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप रखा गया है । मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सरकार ने इस मामले में सुधार करने का प्रयत्न किया है । खेद है कि श्री एन० सी० चटर्जी जैसे व्यक्तियों ने सरकार को और अधिक शक्ति लेने का विरोध किया है । मेरा उन से निवेदन है कि वे आयोग की प्रथम रिपोर्ट पढ़ें । उन्हों ने कर का भुगतान न करने वालों की चालाकियों के एक के बाद एक अनेक उदाहरण उद्धृत किये हैं । नई संसद् के बनते ही सरकार ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे । हमें सरकार से शिकायत यह है कि कर बचाने वालों तथा चोर बाज़ारी करने वालों के प्रति उस का व्यवहार नम्र रहता है । यह कहना कि अंग्रेज़ी राज्य में कर बचाना राष्ट्रीय भावना से किया जाता था, मुझे उचित नहीं जान पड़ता । अब तो सरकार ने जनता के सामाजिक जीवन में उन्नति करने की संविधान के अन्तर्गत शपथ ली है । हमारा कर्तव्य अब यह देखना है कि ऐसे लोग कहीं राष्ट्र तथा समाज विरोधी कार्य तो नहीं कर रहे हैं । यदि ऐसा है तो इस समय भी संसद् को पूरा अधिकार प्राप्त है कि वह कर बचाने वालों के विरुद्ध कार्य-वाही करे । हमें सरकार से यही शिकायत है कि वह ऐसा करती नहीं है । १९४५ में जब हमारे प्रधान मंत्री जेल से छूटे थे तो उन्हों ने कहा था कि चोर बाज़ारी करने वाले लोगों को बिजली के खम्भे से लटका दिया जाना चाहिये किन्तु हमें देखना यह है कि ऐसे उच्च विचारों को कब कार्यान्वित किया जा सकेगा । आज नागरिक स्वतंत्रता की बात की जाती है किन्तु वह वास्तव में है कहां ? वह तो समुदाय की आवश्यकताओं तथा मांगों के अनुसार होनी चाहिये । यदि समुदाय इस बात की मांग करता है कि बिना प्रतिकर दिये सम्पत्ति का अधिग्रहण होना चाहिये तो संसद् ऐसा करने के लिये पूर्ण अधिकार रखती है । आज हम ने कुछ ऐसे विधान बना रखे हैं जो शक्तिमान दल के सिद्धान्तों के अनुसार समुदाय की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं । हो सकता है कि कल को नई सरकार आ जाय, तो इन मामलों को फिर से चलाना पसन्द करे । अतः इस विधेयक पर आपत्ति होने का कोई कारण नहीं जान पड़ता । आज तो संसद् को ऐसा विधान बनाना चाहिये कि प्रत्येक कर बचाने वाले के विरुद्ध, यदि वह समाज विरोधी है, उचित कार्यवाही की जाये । इस को सुधारने में समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं । ईमानदार व्यक्तियों से जो गलती हो गई है उसे ठीक किया जा सकता है और छूट दी जा सकती है । यही समय है जबकि हमें वित्त मंत्री को बता देना चाहिये कि हमारा मुख्य उद्देश्य १९४६ से पहले के

[श्री के० के० बसु]

बचाये गये करों का ही पता लगाना नहीं है । कुछ समय पूर्व पश्चिमी बंगाल की विधान सभा में कहा गया था कि बिड़ला तथा सूरजमल जैसे लोगों ने कर बचाया है । पता नहीं वास्तविकता क्या है । इस का निश्चित उत्तर दिया जाना चाहिये ताकि हम लोग ही कुछ कर सकें । इन्हीं धनाड्यों के उत्सवों में हमारे प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति तक सम्मलित होते हैं । सरकार का दृष्टिकोण इन लोगों की ओर से अभी तक नम्रतापूर्ण है जिस का अन्त होना ही चाहिये । आप ने संविधान में जो प्रतिज्ञायें की हैं उन का पालन क्यों नहीं किया जाता ? सरकार का नर्मी का व्यवहार उचित नहीं है ।

आज परिस्थिति बदल जाने से वैयक्तिक स्वतंत्रता वह नहीं रह सकती जो दो-चार सौ वर्ष पूर्व थी । जब ज़मींदारी उन्मूलन विधेयक रखा गया तो ज़मींदारों ने कहा कि यह तो हमारा सम्मानित अधिकार है । आप इसे हम से क्यों छीनते हैं ? आज यदि सरकार यह समझती है कि ऐसी चीज़ों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये तो ऐसा करना उस का कर्तव्य भी है । इसीलिये तो मैं ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जिसे रद्द कर दिया है सरकार ने इसी विधेयक के द्वारा आय-कर जांच आयोग अधिनियम में इस धारा विशेष के अन्तर्गत इस के क्षेत्र को कुछ व्यापक बनाने की चेष्टा की है ।

मुझे उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ न कह कर केवल यही कहना है कि अपील तथा दुबारा अपील करने व न्यायाधिकरण का सहारा लेने से इस में और भी गुत्थियां पड़ती जायेंगी जिस से हो सकता है कि जिस सिद्धान्त पर यह विधान बनाया गया है वही समाप्त हो जाय । अतः जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, आय-कर पदाधिकारी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होना चाहिये । मैं चाहूंगा कि सरकार को आय-कर अधिनियम में से संशोधन कर के उस की त्रुटियों को ठीक करना चाहिये ।

श्री त्यागी जिस समय राजस्व तथा व्यय राज्य-मंत्री थे, उन्हों ने बताया था कि कुछ अंग्रेज़ी व्यापारियों ने इस कमी से लाभ उठाया था और कर बचाया था । मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब ऐसी स्थिति थी तो इस में अभी तक संशोधन किया क्यों नहीं गया ? इतने समय तक प्रतीक्षा किस बात की होती रही ? अतः मैं निवेदन करूंगा कि सरकार आय-कर अधिनियम में तत्काल तथा उचित संशोधन करे । मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं कि गांधी स्मारक निधि अथवा अन्य ऐसी ही निधि पर कोई आय-कर नहीं लिया जाता क्योंकि इन का कुछ विशेष उद्देश्य होता है । किन्तु मुझे यह पता नहीं कि इन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है । प्रायः लोगों का ऐसा विचार है कि बड़े बड़े करदाता इस निधि में चन्दा दे कर आयकर से छूट जाते हैं (**अन्तर्बाधा**) । वे लोग खुल्लम खुल्ला यह बात कहते हैं कि हमारे पास कितने ही मंत्री चन्दा मांगने आते हैं और हमें देना पड़ता है क्योंकि हम उन्हें अप्रसन्न नहीं कर सकते ।

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जिन मामलों का निर्णय आय-कर जांच आयोग द्वारा किया जा चुका है उन का क्या होगा ? क्या उन की सुनवाई फिर से की जायेगी ? मैं समझता हूं कि ऐसा करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, अतः यही उचित होगा कि उन्हें फिर से न छेड़ा जाये ।

मुझे प्रशासन के सम्बन्ध में भी कुछ कहना है । यदि सरकार चाहती है कि आय-कर की वसूली ठीक प्रकार से हो सके तो उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से

इस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी अधीन कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार न कर सकें। ऐसा देखने में आया है कि उन के साथ बहुत कठोरता का बरताव होता है और उन के संघों को मान्यता नहीं दी जाती।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : मैं श्री बसु और श्री टी० एन० सिंह द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की प्रशंसा करता हूं किन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो इस में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है।

जहां तक मैं समझता हूं जांच आयोग की नियुक्ति से सरकार दो उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहती थी, एक तो युद्धकाल के अनुचित लाभ का सफाया करना और दूसरे जनता को यह जतलाना कि इस प्रकार का अनाचार चलने नहीं दिया जायेगा। किन्तु मुझे कहना पड़ता है कि इन में से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी है। इस में आय-कर अधिकारियों का दोष भी हो सकता है और उन लोगों का भी जो करापवंचन करते रहे हैं। किन्तु प्रस्तुत विधेयक द्वारा वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो आय-कर जांच आयोग को प्राप्त थे।

इस विधेयक की कार्यान्विति से मध्य श्रेणी के लोगों को अनुचित कष्ट तो अवश्य होगा किन्तु हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि जब आयकर प्राधिकारी के पास प्रयाप्त शक्तियां ही नहीं होंगी तो वह इस बात का पता कैसे चला सकेगा कि अमुक व्यक्ति ने करापवंचन किया है या नहीं ?

हम यह भी देखते हैं कि आय-कर जांच आयोग के होते हुए भी वह लोग जिन्हों ने वास्तव में कर बचाया है और सरकार को उन के राजस्व से वंचित रखा है साफ बच कर निकल गये हैं। दूसरी ओर ईमानदार लोगों को इस विधेयक से कष्ट हो सकता है। अतः मैं चाहता हूं कि जहां वास्तविक दोषियों को पकड़ना चाहिये वहां इस बात का भी ध्यान रहना चाहिये कि निर्दोष व्यक्तियों को किसी प्रकार की पीड़ा न हो।

यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती कि सरकार ने आय-करे जांच आयोग अधिनियम की धारा ५(१) के संशोधन के हेतु कोई उपबन्ध क्यों नहीं रखा है। इस विषय में भी कुछ शंका प्रकट की गई है। कहा जा सकता है कि इस में विभेद से काम लिया गया है। लोगों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, एक तो वे जिन्हों ने एक लाख तक अपवंचन किया है और दूसरे जिन्होंने एक लाख से अधिक रुपया उड़ाया है।

एक उपबन्ध यह भी है कि केवल केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की सम्मति से ही कार्यवाही की जा सकती है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस उपबन्ध से भी विभेदकारी कार्यवाही न होने पाये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कौट्टुकपल्ली (मीनाक्षिवल) : मैं भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक के सामान्य पहलुओं का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं विधेयक का समर्थन करने वाले सदस्यों के भाषण ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूं। उन्हों ने अधिकतर उन लोगों की निन्दा ही की है जो अपने परिश्रम, सदाचार और प्रतिभा से अपने व्यवसाय और उद्योग में समृद्ध हो गये हैं। मैं तो उस दिन की उत्कठा से प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन हमारे दरिद्र देशवासी अधिक धनवान् बन कर अपने-जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे। बर्नार्ड शा के कथनानसार दरिद्रता एक अपराध है। हमारा नया गणराज्य जब लोगों को समृद्ध बनाने के लिये अनथक प्रयत्न कर

[श्री कौट्टुकपल्ली]

रहा है, तो उस के लिये दरिद्रता का मंगल-गान मनोवैज्ञानिक गलती है ।

हज़ारों छोटे छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों को, जिन्हों ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम द्वारा बहुत से लोगों को काम दिया है, आय-कर पदाधिकारी तंग करते हैं । मैं विधेयक का समर्थन करते हुए उन ईमानदार व्यापारियों के पक्ष का भी समर्थन करना चाहता हूं ।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं । मुझे खुशी है कि आज इन्कम टैक्स की चोरी करने वालों को पकड़ने के लिये यह बिल लाया गया है । हमें गवर्नमेंट से यही शिकायत थी कि जिन लोगों ने लड़ाई के ज़माने में ब्लैक मार्केट में रुपया पैदा किया था उन के साथ गवर्नमेंट मुलायमियत कर रही है । उस ज़माने में विदेशी गवर्नमेंट थी, अफसरान बिगड़ गये थे, इन्कम टैक्स के अफसरान ठीक से काम नहीं करते थे और उन्हों ने लोगों पर ठीक से टैक्स नहीं लगाया । आखिरकार गवर्नमेंट को सन् १९४७ में एक हाई पावर्ड कमीशन मुकर्रर करना पड़ा इसलिये कि वह देखे कि आया टैक्स का कोई इवेज़न हुआ भी है या नहीं और अगर हुआ है तो कौन से ज़राये अख्तियार किये जायें कि इस के बाद टैक्स इवेज़न न होने पाये । साथ ही साथ उन को यह अख्तियार भी दिया गया था कि जो इन्कम टैक्स इवेज़न के केसेज़ गवर्नमेंट उन को रेफर करे उन की तहकीकात भी करे । इस की भी एक खास वजह थी कि इस काम के लिये क्यों इतना बड़ा कमीशन मकर्रर किया गया । वजह यह थी कि बड़े बड़े लोग जिन्हों ने करोड़ों रुपये का टैक्स इवेज़न किया था उन लोगों की तहकीकात मामूली इनकम टैक्स अफसर नहीं कर सकते थे । यह कमीशन उन की तहकीकात कर सकता था और उस को अख्तियारात भी दिये गये थे । यह इसलिये किया गया कि इस बात का यकीन हो जाये कि ये बड़े बड़े आदमी जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं और जो बड़ी बड़ी दावतें करते हैं, इन्हों ने टैक्स इवेज़न किया है या नहीं । अगर यह मालूम हो कि इन्होंने ब्लैक मार्केट में कमाई की है और टैक्स इवेज़न किया है तो आगे के लिये क्या रास्ता निकाला जाय यह कमीशन को देखना था । तो कमीशन बना और उस ने तहकीकात की । इसी के साथ ही साथ उस कमीशन को यह अख्तियार भी दिया गया था कि अगर इन केसेज़ की तहकीकात के दौरान में उस को किसी और केस का पता लगे, क्योंकि एक फर्म की बहियों को देखने से दूसरों का भी पता चल जाता है, कि किसी और ने भी टैक्स इवेज़न किया है, तो वह इस की गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दे और जब गवर्नमेंट को इस बात का यकीन हो जाय कि वाकै इन लोगों ने भी टैक्स इवेज़न किया है तो उन को वे केसेज़ भी रेफर कर दे और उन की भी तहकीकात की जाय । अभी चटर्जी साहब की तकरीर से मालूम हुआ कि ३६९ केसेज़ उन के सुपुर्द हुए उन में से २१२ या कुछ ऐसे ही केसेज़ तै हुए, जिन्हों ने यह मान लिया कि हम ने टैक्स इवेज़न किया था । करोड़ों रुपया उन के ज़िम्मे निकला जिस में कुछ वसूल हो चुका है और कुछ वसूल होने को है । इसी सिलसिले में उन को मौका मिल गया और वे सुप्रीम कोर्ट चले गये । वहां सुप्रीम कोर्ट में यह तै कर दिया गया कि इस में तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया । इस तरह से जिन लोगों के नाम कमीशन के पास चले गये कि उन्हों ने टैक्स इवेज़न किया है उन पर तो टैक्स लग गया और बाकी जिन का नाम नहीं गया उन पर टैक्स नहीं लगा । इसलिये ५(४) को सुप्रीम कोर्ट ने

खिलाफ कानून ठहरा दिया। इस से गवर्नमेंट के लिये दिक्कत हो गई कि जिन के मुताल्लिक कमीशन ने लिखा था कि इन से करोड़ों रुपया वसूल होना है वह नहीं हो सकता था। गवर्नमेंट ने चाहा कि यह रुपया मारा न जाय। इसलिये गवर्नमेंट ने एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया। अब कमीशन की रिपोर्टों से यह यकीन हो गया है कि इवेज़न हुआ है। इस इवेज़न का करोड़ों रुपया वसूल हुआ और गवर्नमेंट के खज़ाने में आया और कुछ अभी बाकी है। इस से किसी साहब ने इन्कार नहीं किया कि इवेज़न हुआ है। कुछ ने यह ज़रूर कहा कि इस में लिमिटेशन का सवाल है। उन्हों ने कहा कि १६ बरस बाद आप हिसाब क्यों लेते हैं। गर्ज़ेकि इन चोरों को चोर रास्तों से बचाने की कोशिश की जा रही है कि यह कानून पास न होने पाये। यह तो वकीलों का काम है कि मर्डर्स की, चोरों की, डाकुओं की वकालत करें। तो यहां यह कहा जा रहा है कि इस में लिमिटेशन का सवाल है। लेकिन मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के टैक्स वसूल करने में लिमिटेशन का क्या सवाल हो सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर ले, तो उस में ६० साल बाद लिमिटेशन लागू होता है। इसी तरह से यह किसी मामूली आदमी का तो लेन-देन है नहीं कि जिस को तीन चार साल में तै कर लिया जाय नहीं तो लिमिटेशन लागू हो जायगा। यह तो गवर्नमेंट का मामला है। गवर्नमेंट कोई आदमी नहीं है। गवर्नमेंट तो एक बहुत लम्बा जाल है जिस में हजारों अफसर हैं। अब अगर कोई एक अफसर गलती करता है तो उस की वजह से गवर्नमेंट क्यों नुकसान उठाये। इसलिये गवर्नमेंट के लिये मियाद लम्बी रखी जाती है। साठ बरस में कितने जैनरेशन बीत जायेंगे। अगर साठ साल तक पता नहीं लगेगा तो उस पर लिमिटेशन का सवाल आवेगा। इसी तरीके से यह टैक्स का मामला है। अगर एक अफसर ने गलती की है तो उस के स्थान पर जो दूसरा आवेगा, तीसरा आवेगा वह उस गलती को ठीक करेगा। इसलिये गवर्नमेंट के मामले में लिमिटेशन का सवाल लागू नहीं होता। जो गवर्नमेंट का रुपया है वह देना पड़ेगा। यह लड़ाई के ज़माने की कमाई है। उस ज़माने में हम लोग जेल-खाने में थे और ये लोग कमाने में लगे थे। हम लोगों को जेल के अन्दर से ही यह शिकायत थी कि ये लोग बहुत माल कमा रहे हैं और जनता को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। हम सोचते थे कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन हम यह तमाम पैसा निकाल लेंगे।

आज हमें उन से कहने का पहला मौका मिला है कि भाई जितना रुपया तुम ने लड़ाई के दौरान में ब्लैक मार्केट में कमाया है, उस का टैक्स ईमानदारी से रख दो और न सन् ४७ के ऐक्ट की बात करो, न किसी क़ानून की आड़ लो, न वकीलों की आड़ लो और न अदालत की आड़ लो, बल्कि ईमान-दारी के साथ जितना तुम पर वाजिब आता है सरकार को दे दो। इन्कम टैक्स कमीशन के मुक़र्रर करने से यह साबित हो गया है कि करोड़ों रुपयों का इवेज़न किया गया है, बड़े बड़े आदमियों के केसों को देख कर पता चल गया है कि काफ़ी रुपया इन्कम टैक्स का इवेड किया गया है। लेकिन अब तो बात सामने आ चुकी और कमीशन ने हमें बतलाया कि काफ़ी रुपये का इवेज़न हुआ है और उस के लिये हम इस बिल के द्वारा इन्कम टैक्स ऐक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं और दफ़ा ३४ की रू से हम इन्कम टैक्स अफ़सरों को अख़्तियार दे रहे हैं कि वे पता लगायें कि इस मुल्क में किस किस ने इन्कम टैक्स का रुपया इवेड किया है, और उन से वह टैक्स वसूल करे। सरकारी इन्कम टैक्स के कर्म-चारियों को जो इस जांच को करने के लिये ज़िम्मेदार होंगे होशियार रहना चाहिय।

[श्री आर० डी० मिश्र]

उन को चाहिये कि ईमानदारी से अपना काम करें और ऐसे लोगों का पता लगायें जिन्हों ने टैक्स इवेड किया है, हमारे अफ़सरों को याद रखना चाहिये कि अब लड़ाई का ज़माना नहीं रहा और वाज़े रहे कि अगर उन्हों ने ठीक से पता नहीं लगाया तो उन के खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जायगी । यह न समझें कि उन के साथ कोई रियायत दिखाई जायेगी, लड़ाई का अब ज़माना नहीं है, अब सुलह का ज़माना है इसलिये इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट और फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट के आदमी होशियार हो जायें और ईमानदारी के साथ वह इस टैक्स इवेज़न का पता लगायें और सरकार के खज़ाने में उस को दाखिल करायें । हमारे देशवासियों को भी चाहिये कि वे ईमानदारी से अपनी इन्कम डिस्क्लोज़ करें और जितना रुपया लड़ाई के दिनों में उन्हों ने कमाया है उस पर वाजिब इन्कम टैक्स अदा करें । जो लोग ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करना चाहते हैं उन के वास्ते यह बहुत अच्छा बिल है । यह बिल स्वागत योगय है और सरकार को इस से आमदनी होगी । जो इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं उन को पता लग जायेगा कि अभी गवर्नमेंट सतर्क है और वह उस पैसे को ज़रूर निकलवा कर रहेगी जिस की उन्हों ने चोरी की है । इस बिल में सन् ५६ तक की जो मियाद रक्खी गई है वह ज़रूर कायम रहनी चाहिये और यह उम्मीद करनी चाहिये कि सब लोग ईमानदारी से इस मियाद के भीतर अपना रुपया दे देंगे । और गवर्नमेंट को इस ऐक्ट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत न पड़ेगी । इसलिये मैं इस बिल की ताईद करता हूं और यह चाहता हूं कि गवर्नमेंट के तमाम अफ़सरान ईमानदारी के साथ इन्कम टैक्स की चोरी में जो रुपया गया है उस को निकाल कर गवर्नमेंट के खज़ाने में दाखिल करा दें ।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : २१५ करोड़ रुपये जितनी बड़ी राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग देख कर हम इस आधार पर भी इस विधेयक का स्वागत करेंगे कि इस से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी ।

इस विषय में सभा एक मत है कि कर से बचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा जो कार्यवाही रुक गई है सरकार उसे पुनः आरम्भ करे ।

कर से बचने वालों के साथ यहां किसी को भी सहानुभूति नहीं है, परन्तु सभा सामूहिक रूप में किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती । सभा को कर-दाता का भी ध्यान रखना होता है ।

वित्त उपमंत्री ने कुछ कर-दाता की सुरक्षा के उपबन्ध गिनाये हैं कि आय-कर पदाधिकारी को सूचना जारी करने से पूर्व कारण बताने होंगे और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की भी उस सम्बन्ध में सन्तुष्टि करनी होगी ।

वित्त उपमंत्री ने विधेयक के परन्तुक को करदाता के लिये महत्वपूर्ण सुरक्षा उपबन्ध बताया है, परन्तु दुर्भाग्यवश यह कितनी विचित्र बात है कि इस के उन के लिये अधिक कष्टपूर्ण होने की संभावना है ।

विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के विवरण को देख कर तो यह आशा की गई थी कि यह केवल उन मामलों के लिये होगा जोकि पहले ही आय-कर जांच आयोग के पास हैं और जिन का निबटारा अभी नहीं हुआ है । परन्तु यह स्पष्ट है कि सरकार ३१ मार्च १९५६ तक कालावधि बढ़ाना चाहती

है। तब यह तो कोई सुरक्षा उपबन्ध न हुआ और अच्छा होता यदि सरकार दूसरी प्रकार की कालावधि का भी उपबन्ध करती, अर्थात्, यह उपबन्ध करती कि अन्तिम तिथि को भेजी गई सूचना (नोटिस) के मामले में निश्चित काल में निर्णय किया जायेगा इस से करदाता को वर्षों उलझन में तो न पड़े रहना पड़ता।

सूचना देने की अन्तिम तिथि ३१ मार्च १९५६ है और मैं समझता हूं कि किसी भी साधारण व्यापारी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह १६ वर्ष पुराने अभिलेख और दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकेगा।

यह अच्छा होता कि इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया होता कि इस का सम्बन्ध ऐसे मामलों से है जिस में दस्तावेजों के खो जाने या नष्ट हो जाने के सच्चे और ग्राह्य प्रमाण दिये गये हों।

इस के बाद कर-निर्धारण के समय करदाता की आर्थिक स्थिति का भी प्रश्न है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुद्रास्फीति के दिनों में धनी हो गये थे और आज उन की स्थिति दयनीय है। बम्बई के एक व्यक्ति ने अस्पतालों और स्कूलों को तीन वर्ष के भीतर ३५ लाख रुपया दिया था और अब वह मित्रों से मांग मांग कर गुज़ारा कर रहा है। इस प्रकार कालावधि को बार बार बढ़ाने से इस प्रकार के मामले भी आ जाते हैं। इस प्रकार इस विधेयक में ईमानदार करदाताओं के लिये भय के कारण भी विद्यमान हैं। अतएव मैं आशा करता हूं कि उपमंत्री अपने उत्तर में ऐसे मामलों पर भी प्रकाश डालेंगे और सभा को आवश्यक आश्वासन देंगे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़) : कुछ मित्रों ने यह सुझाव रखा है कि इस विधेयक के प्रवर्तन पर कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये और इस के द्वारा केवल उन लोगों को पकड़ना चाहिये जिन की जांच को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। परन्तु मैं रामगंज-मंडी के एक स्टेशन मास्टर के बारे में जानता हूं जो १९४४ में प्रति दिन ४,००० रुपये कमाता था। इसी प्रकार रतलाम के फल बेचने वाले की आय ५ लाख रुपये प्रतिवर्ष है। उस ने कभी एक पाई भी सरकार को नहीं दी। इन सब की साधारण ढंग से क्यों जांच नहीं होती ?

हम में से जो लोग लाल-फीताशाही को जानते हैं उन्हें पता है कि यहां दिये गये उपबन्धों की क्या स्थिति है। जब तक केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को आय-कर पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के सम्बन्ध में संतुष्टि होगी ३१ मार्च १९५६ की तिथि आ जायगी और ये घूंसखोर जो समाज के लिये अभिशाप हैं अवश्य ही बच जायेंगे। इस लिये मैं उपमंत्री महोदय से यह स्पष्ट प्रश्न पूछता हूं कि उन्हों ने ऐसे कितने व्यक्तियों की जांच की है। आसाम का एक आय-कर पदाधिकारी १९४२ में बम द्वारा मारा गया था। जब उस की सम्पत्ति पर कब्जा किया गया तो ट्रंकों में लाखों रुपये भरे पड़े मिले। आश्चर्य होता है कि ३०० रुपये मासिक वेतन पाने वाला व्यक्ति इतना रुपया कैसे जमा कर सका। क्या आप ने कभी इस प्रकार के मामलों की जांच की है ?

अतएव मेरा निवेदन है कि जांच के ढंग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। यह विधेयक केवल उन व्यापारियों पर लागू नहीं होना चाहिये जो धन कमाते हैं, वरन् यह उन घूसखोरों पर भी लागू होना चाहिये जो समाज का रक्त चूस रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उस में 'सामान्य आय' ये शब्द हैं, जो चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हुए हों।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यह सत्य है कि इसीलिये मैं ने दोनों उपबन्धों की ओर निर्देश किया था, जिन के अनुसार आयकर पदाधिकारी को संतोषजनक कारण बताने होंगे और उस विषय की जानकारी रखने वाले लोगों को भी सन्तुष्ट करना होगा ।

हमें यह नहीं कहना चाहिये कि केवल व्यापारी लोग ही देश का रक्त चूसने वाले हैं, वरन् अन्य बहुत से लोग हैं जिन्हों ने नियंत्रण के दिनों में अतुल धन राशि कमाई है । इन के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी चाहिये ।

खण्ड (१घ) में यह उपबन्ध किया गया है कि इस धारा के अधीन किया गया कोई भी समझौता अन्तिम होगा और कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन समझौता किये गये मामले में किसी राशि की वसूली के लिये या पुनः कर-निर्धारण के लिये किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही नहीं कर सकेगा । इस का यह अभिप्राय हुआ कि यह दोनों पर लागू नहीं होगा । मैं माननीय वित्त उपमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस धारा के अधीन समझौता केवल एक पक्ष के लिये अन्तिम नहीं होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक खण्ड के पूर्व भाग का सम्बन्ध है वह दोनों पक्षों के लिये अन्तिम है, क्योंकि तत्पश्चात् अर्ध-विराम दिया हुआ है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यदि पूर्व भाग के पश्चात् अर्ध-विराम की अपेक्षा पूर्ण-विराम होता तो ठीक था ।

यदि हम चाहते हैं कि यह विधि सभी प्रकार के लाभ कमाने वालों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो, तो १९३९ से १९४६ के बीच की कालावधि के लिये इस में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । यह ठीक है कि अधिकतर लाभ इसी अवधि में कमाये गये थे । विधि सब के लिये विधि है चाहे लाभ अधिवक्ता, कर्मचारी या नेताओं ने कमाया हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : गुणावगुणों के प्रश्न के अतिरिक्त १९४७-४८ में हुई घटनायें भी इस विधि के अधीन आ जाती हैं, क्योंकि चार वर्ष या आठ वर्ष की कालावधि लागू होगी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा यह निवेदन है कि इस कालावधि में वर्ष १९४७ भी ले लेना चाहिये । १९४७ की आय का कर-निर्धारण १९५७ में नहीं होगा । उस काला वधि में बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने अंग्रेज़ी सरकार की सहायता कर के बहुत रुपया कमाया था और पदोन्नतियां प्राप्त की थीं । बहुतों ने राय बहादुर, खानबहादुर और सरदार बहादुर की उपाधियां प्राप्त की थीं ।

श्री एम० सी० शाह : सभा के माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में जो मेरा समर्थन किया है उस के लिये मैं उन का बड़ा आभारी हूं । कुछ सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पैदा हुए अन्तर को दूर करने के लिये अध्यादेश लाने की सरकार की कार्यवाही की भी प्रशंसा की है । कुछ सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने अधिक कार्यवाही नहीं की है और बहुत कम सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की है कि विधेयक के अधीन सरकार को दी जाने वाली शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिये । मेरा विचार था कि मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव इस विधेयक का विरोध करेंगे, परन्तु उन्हों ने भी इस का समर्थन किया है और अन्त में सरकार से यह अपील की है कि इस धारा के अधीन मामला सौंपने से पूर्व केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को उस की पूरी छान-बीन कर लेनी चाहिये और जब तक कोई बहुत विश्वसनीय मामला न हो तब तक उसे धारा ३४ (१क)

के अधीन सौंपना नहीं चाहिये । दूसरे सदस्यों ने भी इसी बात पर ज़ोर दिया है । मुझे इस सभा के सदस्यों को यह आश्वासन देने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड आय-कर पदाधिकारी की सिपारिशों और उस के द्वारा दिये गये कारणों को स्वीकार करने में बड़ी सूझ-बूझ से काम लेगा ।

वर्तमान धारा ३४ से पता चलेगा कि यह बचाव उन कर-दाताओं के पक्ष में है जिन के मामले धारा ३४ (१) (क) के अधीन पुनः आरम्भ किये जायेंगे । वर्तमान धारा ३४ के अधीन आय-कर पदाधिकारी को कारण बताने पड़ते हैं और फिर आयुक्त की अनुज्ञा लेनी पड़ती है ; इस अधिनियम के अधीन हम ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को यह अधिकार दिया है कि वह धारा ३४ (१) (क) के अधीन मामला पुनः आरम्भ करने से पहले सब बातों पर अच्छी प्रकार ध्यान से विचार कर ले ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने अधिक कार्यवाही नहीं की है । कुछ और ने कहा है कि आय-कर जांच आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन भेज दिया है, परन्तु उस की सिपारिशों को कार्यान्वित करने के लिये हम ने कोई कार्यवाही नहीं की है । मैं उन माननीय सदस्यों और सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि ज्यों ही सरकार को भाग १ के सम्बन्ध में आयोग की सिपारिशें मिलीं सरकार ने तुरन्त ही १९५१ में आय-कर अधिनियम के संशोधनार्थ एक विधेयक सभा में प्रस्तुत किया । उस में उन्हों ने तलाशी और लेखा पुस्तकों पर कब्ज़ा इत्यादि सब सिपारिशें सम्मिलित करने का यत्न किया । इन के बारे में भी एक खण्ड था । उस विधेयक को पारित न किया जा सका और वह व्यपगत हो गया । हम चाहते थे कि कुछ धारायें पारित हो जायें, जो बड़ी महत्वपूर्ण और आवश्यक थीं इसलिये एक विवादास्पद विधेयक प्रस्तुत करने की बजाय हम ने उन धाराओं के लिये एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय आय-कर अधिनियम का पूरी तरह संशोधन करने के लिये हम एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं । अब यह विषय कर-जांच आयोग के समक्ष है और वह सम्भवतः अपना प्रतिवेदन अक्तूबर के मध्य अथवा २० अक्तूबर तक भेज देगा । उस प्रतिवेदन में वर्तमान भारतीय आय-कर अधिनियम के संशोधनों के बारे में की गई सिपारिशों का निरीक्षण करने के लिये हमारे पास पर्याप्त समय होगा और हमारा विचार है कि जितनी जल्दी सम्भव हो भारतीय आय-कर अधिनियम का पूरी तरह संशोधन करने के लिये एक विधेयक लाया जाये । सम्भवतः वर्ष १९५५ की समाप्ति से पूर्व ही ऐसा किया जायगा । क्योंकि समवाय विधेयक के पश्चात् वित्त मंत्रालय का यह व्यापक विधेयक लाने का विचार है । यह पूछा गया है कि आय-कर जांच आयोग की अन्य सिपारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है । मेरे माननीय मित्र श्री चेट्टियार और एक दो अन्य सदस्यों ने यह पूछा था ।

मैं सभा को सूचित कर दूं कि वर्ष १९५२ से उन्हों ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अधीन एक विभाग खोला है । विभाग का नाम निरीक्षण और जांच निदेशालय रखा गया है । इस की दो शाखायें हैं : निरीक्षण और जांच निदेशालय । जिन मामलों की अब जांच की जानी है उन की जांच इस विभाग द्वारा और जांच निदेशक द्वारा की जाती है । जब कभी आय-कर पदाधिकारी अथवा आय-कर जांच आयोग के समक्ष विद्यमान मामलों के अतिरिक्त हमें कोई अन्य शिकायत अथवा जानकारी मिलती है, तो हम तुरन्त ही वह मामला उस विभाग को भेज देते हैं

[श्री एम० सी० शाह]

वस्तुतः वे बड़ा उपयोगी कार्य कर रहे हैं और इस समय तक वे १.३ करोड़ रुपये तक की छिपाई हुई आय का पता लगा चुके हैं और अधिक पता लगा रहे हैं। अतः मैं सभा के सब माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे करापवंचन और आय छिपाने के बारे में हमें जानकारी दें जैसा कि अन्तिम वक्ता मेरे माननीय मित्र श्री त्रिवेदी ने सुझाव दिया था। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि निरीक्षण और जांच निदेशालय इन सब मामलों का निबटारा करेगा और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी का मामला भी आयोग को भेजा गया है। मुझे पता चला है कि सरकारी कर्मचारियों के पांच मामले आय कर जांच आयोग को भेजे गये हैं और यदि वे किसी मामले के बारे में बतायें जिसे वे जानते हैं, तो तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

इस विभाग के अतिरिक्त महत्वपूर्ण केन्द्रों में हम ने पहले ही विशेष सर्कल खोल रखे हैं। जब कभी उन के ध्यान में महत्वपूर्ण मामले लाये जाते हैं तो वे उन का निबटारा करते हैं। उन लोगों का पता लगाने के लिये जिन्हें आय-कर अदा करना चाहिये. परन्तु जो फ़ार्म नहीं भर रहे हैं हम ने सर्वेक्षण सर्कल भी खोल रखे हैं। बड़े बड़े केन्द्रों में इन सर्वेक्षण सर्कलों से पर्याप्त लाभ हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि हम उन लोगों को कड़ा दण्ड दे रहे हैं जो आय-कर का अपवंचन कर रहे हैं और हम यह भी यत्न कर रहे हैं कि एक भी करापवंचक आय-कर विभाग के पंजे से न बच निकले। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस बात की प्रशंसा की है कि आय-कर पदाधिकारी अधिक ईमानदार होते जा रहे हैं .....

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : पहले वे ईमानदार नहीं थे !

श्री एम० सी० शाह : कहते हैं कि उन दिनों स्वतंत्रता से पूर्व, सम्भवतः भ्रष्टाचार फैला हुआ था। मैं यह नहीं कहता कि अब भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। मैं प्रसन्न हूं और इस से हमारा उत्साह बढ़ता है कि इस विभाग का नैतिक उत्थान हो रहा है। इसलिये मैं जहां कहीं जाता हूं आय-कर पदाधिकारियों से कहता हूं कि इस बात का ध्यान रहे कि एक पाई अधिक न ली जाये और सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशियों में से एक पाई भी न गंवाई जाये, मैं आशा करता हूं कि आय-कर विभाग इस नीति का अनुसरण करेगा।

श्री चेट्टियार ने अपने आप आय बताने की बात उठाई थी, कुछ मामले बहुत समय से लटके पड़े थे और उन्हों ने कहा था कि समझौते के मामलों की भी यही दशा है।

यदि मेरे माननीय मित्र आय-कर अधिनियम को देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि ऐसे मामलों का निबटारा करने के लिये केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार के पास वर्तमान अधिनियम के अधीन कोई शक्तियां नहीं हैं। आय बताने की योजना के अनुसार यह किया गया था कि इन लोगों को आमंत्रित किया गया कि वे छिपाई हुई आय बतायें और उस का सच्चा और ठीक ठीक विवरण दें। मेरे विचार में २१,१६३ लोगों ने आय बताई थी और ३० अप्रैल, १९५४ से पूर्व २०,४४० मामलों का निबटारा किया जा चुका है। इसलिये यह शिकायत ठीक नहीं कि इन मामलों को बहुत देर तक निलम्बित रखा गया। ये समझौते के मामले नहीं थे। जब हम ने उन्हें किसी विशेष अवधि के अन्दर अपनी आय बताने का निमंत्रण दिया और यदि उन्हों ने उस अवधि में अर्थात् अक्तूबर

१९५१ से पूर्व अपनी आय बता दी और ठीक ठीक विवरण दे दिया, तो उन से कोई जुर्माना नहीं लिया गया और उचित दर से उन पर कर लगाया गया। मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने समझौतों के बारे में प्रश्न उठाया था। उन्हों ने कहा था कि समझौतों में सम्भवतः कुछ कठिनाइयां होंगी। आय-कर जांच आयोग में दो न्यायाधीश हैं और उन्हों ने बहुत अच्छी प्रकार समझौते कराये हैं। इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले समझौतों में कुछ कठिनाई अथवा उन के बारे में कोई शंका हो सकती है। हम ने जान-बूझ कर इस अधिनियम के अधीन समझौते की शक्तियां प्राप्त की हैं, क्योंकि धारा ५(४) के अधीन २२० मामलों में से १८९ मामलों का निबटारा समझौते के आधार पर किया गया है। जैसा कि मैं ने कहा इस अधिनियम के अधीन समझौता कराने की कोई शक्ति नहीं है। समझौते की शक्तियां न होने से पूर्व-सूचना दिये जाने पर सारे निबटाये गये मामलों का फिर से निबटारा करना पड़ेगा और यदि सरकार उन समझौते की शर्तों को स्वीकार न करे जिन्हें आय-कर जांच आयोग ने स्वीकार किया था, तो यह उस के लिये बड़ा अनुचित होगा। उन्हों ने कुछ समझौते के मामलों और उन के सम्बन्ध में नीति की सिपारिश की थी और वे मामले सरकार के समक्ष हैं, उस अधिनियम के अधीन जब कभी वे किसी समझौते की सिपारिश करते उस पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता था और इस प्रकार धारा ५(४) तथा ५(१) के अधीन इन सब मामलों में उन्हों ने समझौते स्वीकार कर लिये। धारा ५(४) के अन्तर्गत जब पूर्व-सूचना दी जायेगी और उन लोगों के मामले पुनः प्रस्तुत होंगे, तो पुनः जांच करना सरकार के लिये बड़ा अनुचित होगा, क्योंकि इस से और श्रम करना पड़ेगा और अधिक कठिनाई होगी जिसे सभा नहीं चाहती है। इसीलिये हम ने समझौते की शक्तियां प्राप्त की हैं। और समझौते की ये शक्तियां भी सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगी। समझौते की ये शक्तियां केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को प्राप्त नहीं होंगी। परन्तु केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समझौते के वे मामले स्वीकार किये जा सकते हैं। अतः माननीय सदस्यों के मन में यह भय नहीं होना चाहिये कि समझौते के मामलों में सरकार ऐसी नीति का अनुसरण करेगी जिस से भारत सरकार के केन्द्रीय राजस्व को हानि पहुंचेगी।

जैसा कि मैं ने बताया इस अध्यादेश के जारी होने के पश्चात् शेष ३३७ मामलों में से हम २५० को हाथ में ले चुके हैं और लगभग एक सौ को पूर्व-सूचना दी जा चुकी है। मुझे यह कहने में बड़ी प्रसन्नता होती है कि ४६ करदाता अपने दावों का निबटारा कराने के लिये आ भी चुके हैं और हम चाहते हैं कि ज्यों ही वे आयें इन मामलों का निबटारा जितनी जल्दी हो सके कर दिया जाये। उन १४५ मामलों के बारे में भी जो आय-कर आयोग द्वारा हाथ में नहीं लिये गये यदि जांच करते समय वे समझौते की इच्छा प्रकट कर दें तो हम उन का समझौता कराने को तैयार हैं। इसलिये यदि लोग छः मास के अन्दर अपने मामलों का समझौता कराना चाहें तो हम ने शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। हम ने सोच-समझ कर छः मास की अवधि रखी है। अन्यथा उन मामलों की जांच आरंभ हो चुकने पर जब सब कुछ पता चल जाये, तो वे कहेंगे कि हम समझौता करना चाहते हैं। हम उन्हें यह अवसर नहीं देना चाहते। और फिर इन मामलों का निबटारा करने के लिये हम उन का सहयोग भी चाहते हैं इसीलिये बड़ा सोच-विचार कर के हम ने समझौते की शक्तियां ली हैं।

[श्री एम० सी० शाह]

यह कहा गया था कि दो न्यायाधीश थे ; उन्हों ने ठीक ही निर्णय किया और इसलिये अवश्य ही कोई न्यायिक मंत्रणा निकाय होना चाहिये । इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । जांच आयोग अधिनियम के अधीन तथ्य के प्रश्न पर अपील नहीं की जा सकती । केवल विधि के प्रश्न पर ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से अपील की जा सकती थी । इस में करदाताओं को लाभ है । वे तथ्य के बारे में भी सहायक अपीलीय आयुक्त और अपीलीय न्यायाधिकरण से और विधि के प्रश्न पर उच्च-न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से अपील कर सकेंगे । वस्तुतः हम उन लोगों को अधिक कष्ट नहीं देना चाहते, जो धारा ३४ (१क) के अन्तर्गत आते हैं । अतः मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं, जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि हमारा विचार किसी ईमानदार और सीधे-सादे करदाता को तंग करना नहीं है । परन्तु हम करापवंचन करने वालों को अवश्य पकड़ना चाहते हैं और चर्चा के रुख से मैं ने देखा है कि सारी सभा यही चाहती है ।

मेरे मित्र श्री टी० एन० सिंह ने कहा था कि संशोधक विधेयक के अधीन हमें अधिक शक्तियां नहीं प्राप्त होतीं । मैं मानता हूं कि जांच आयोग अधिनियम के अधीन हमें बहुत अधिक शक्तियां मिली हुई थीं । परन्तु आज हम सामान्य आय-कर अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं और जैसा कि मैं ने बताया हमारा एक व्यापक संशोधक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ।

श्री के० के० बसु : कब ?

श्री एम० सी० शाह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि लगभग अक्तूबर के मध्य तक करारोपण जांच आयोग की सिफारिशें हमें प्राप्त हो जायेंगी और उन की परीक्षा करने के पश्चात् अगले वर्ष हमारा एक व्यापक संशोधक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है । हम ने पहले ही इस के सम्बन्ध में विचार कर लिया है और हम एक ऐसा व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं जिस में सब त्रुटियां दूर हो जायें और सरकार को यथासम्भव अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : सामान्य निर्वाचनों से ठीक पहले ।

श्री एम० सी० शाह : मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि यह एक लाख रुपये का उपबन्ध भेद-भावजनक होगा । हम ने इस बात पर चर्चा की थी और हमें यह सलाह दी गई है कि ऐसी बात नहीं है । वास्तव में एक राजकोषीय संविधि में इसे भेद-भाव नहीं समझा जा सकता । आजकल भी हम उन लोगों पर कर नहीं लगाते जिन की व्यक्तिगत आय ४,२०० रुपये से कम है और अविभक्त परिवार की आय ८,४०० रुपये से कम है । और हम अधि-कर केवल उन लोगों से लेते हैं जिन की आय २५,००० रुपये से अधिक है । आयकर की दरें भी अलग अलग हैं । अतः यदि हम एक लाख रुपये की सीमा रखें, तो इस से कोई भेद-भाव नहीं होगा । एक लाख की सीमा इसलिये भी रखी गई है ताकि साधारण मध्यम श्रेणी के लोगों को तंग न किया जाये और केवल उन्हीं लोगों को इस धारा के अन्तर्गत लाया जाये जिन्हों ने युद्ध-काल में बड़ी बड़ी राशियों पर करापवंचन किया हो । अतः इस में भेद-भाव का भी कोई भय नहीं होना चाहिये । हम ने इस पहलू पर गम्भीरता से विचार किया है और हमें यह सलाह दी गई है कि इस में कोई भेद-भाव नहीं है ।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने कहा था कि महान्यायवादी ने यह युक्तियां दी थीं कि

धारा ५(४) इसलिये बनायी गई थी, क्योंकि वे उन सब मामलों को लाना चाहते थे जिन में युद्ध-काल में अधिक लाभ कमाया गया था। विधेयक में भी युद्ध-कालीन लाभ का उल्लेख है और यह १ सितम्बर, १९३९ से ३१ मार्च, १९४६ तक की अवधि से बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया गया है। अतः मेरे विचार में इस युक्ति में कोई सार नहीं है। वास्तव में इस विषय में सभा का एकमत है कि जिन्हों ने युद्ध-काल में लाभ कमाये हैं और युद्ध-काल में करापवंचन किया है उन्हें अवश्य दण्ड दिया जाये, वस्तुतः कुछ सदस्य तो इस सीमा को भी कम करवाना चाहते थे। परन्तु इतनी देर बाद किसी को तंग न किया जाये, इसलिये हम ने यह एक लाख रुपये की सीमा रख दी है।

मुख्यतः यही बातें उठाई गई थीं और बाद में खण्डशः विचार के समय यदि और कोई बात उठाई गई तो मैं उस का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री बंसल ने यह बात उठाई थी कि अंशधारियों तथा साझीदारों को क्यों बीच में घसीटते हैं? आय-कर जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत भी साझीदारों को लाया जा सकता है। मान लीजिये कुछ साझीदार हैं और एक साझीदार के दायित्व की गणना करनी है, तो जांच आयोग को यह करने का अधिकार है। और हम ने उन शक्तियों को यहां ले लिया है। किसी निजी समवाय के अंशधारियों के सम्बन्ध में भी यही बात है।

श्री टी० एन० सिंह की बात का मैं यह उत्तर दे चुका हूं कि प्रस्तावित विधि के अनुसार ऐसी स्थिति नहीं है और विभाग को विधि की सीमाओं के अन्तर्गत सभी मामलों में कार्यवाही करन का अधिकार होगा। अतः मैं समझता हूं कि सभा का यह एकमत है कि मुझे छोटी-छोटी बातों का उत्तर देने के लिये और अधिक समय नहीं लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ में, उन व्यक्तियों पर जिन्हों ने एक नियत अवधि में पर्याप्त सीमा तक करापवंचन किया है कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण करने तथा इन से सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने के हेतु, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २—(धारा ३४ का संशोधन)

श्री के० के० बसु तथा श्री मूलचन्द दुबे ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फरूखाबाद—उत्तर) : सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था कि सामान्यतः जिन व्यक्तियों के पास एक लाख रुपये से कम की छोटी छोटी सम्पत्तियां अथवा आय है और जिन्हों ने कर निर्धारण से अपने आप को बचा लिया है, उन के विरुद्ध इस वर्तमान विधि के अनुसार अभियोग नहीं चलाना चाहिए। मेरा संशोधन, कि जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति ५० हजार से अधिक नहीं है उन्हें भी तंग नहीं करना चाहिए, वैसा ही है जैसा कि सरकार ने अपना संशोधन स्वीकार किया है। अतः उपमंत्री से निवेदन करता हूं वे इस पहलू पर भी विचार करें कि जहां वह एक लाख रुपये से कम की आय को, जो कर निर्धारण से बच गई है, मुक्त कर रहे हैं, तो क्या दस या पन्द्रह हजार से अनधिक सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को भी कर-निर्धारण से मुक्त करना वांछनीय नहीं होगा?

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

श्री के० के० बसु : मेरा प्रथम संशोधन आयकर अधिनियम १९२२ में सम्मिलित किये जाने वाले खंड १ क के उपखंड (२) को

[श्री के० के० बसु]

निकालने के सम्बन्ध में है । सारी बात यह कि उस राशि की कोई सीमा नहीं होनी चाहिये जिस पर आयकर विभाग किसी व्यक्ति से कर मांग सके । मुख्य कठिनाई तो कर-अपवंचन-कर्ताओं तथा समाज विरोधी तत्वों को इस अधिनियमन के क्षेत्र में लाना है । मुझे एक उदाहरण याद है जिस का उल्लेख पश्चिमी बंगाल विधान सभा में किया गया था । वहां की एक फर्म सरोजमल नागरमल ने २ करोड़ रुपये का कर अपवंचन किया था; किन्तु उस के बहुत से सहायक एवं अन्य बहुत से निर्भर रहने वाले समवाय हैं । यह कहा जा सकता है कि अमुक समवाय उस खंड के अधीन नहीं लाया जा सकता । यदि इसी समवाय ने ५ हजार रुपये तक का कर अपवंचन किया होता तो यह इस खंड के अधीन आना चाहिए । यह एक सिद्धान्त की बात है जब तक आप ऐसे व्यक्तियों को, जिन के पास धन है, जिन का समाज में सम्मान है जिन की अपनी शक्ति एवं स्तर है, कठोर दंड नहीं देंगे तब तक कोई रोकथाम नहीं हो सकती । इसी प्रकार बिरला एन्ड संज ने भी दो करोड़ रुपये का कर-अपवंचन किया है । हमें कर अपवंचन करने वाले व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति तथा मनोवृत्ति देखनी है । कभी कभी आय-कर स्वयं इतना तुच्छ होता है कि सामान्य व्यक्ति द्वारा उस का हिसाब लगाना बहुत कठिन है । मैं मानता हूं कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को कुछ अधिकार हैं किन्तु वे बहुत थोड़े हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि धन के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए ।

एक दूसरी बात और भी है कि मार्च १९५० के बाद कोई सूचना जारी नहीं की गई थी । यह बात भी उसी समय की है जब कि असाधारण स्थिति थी । मार्च १९५३ में ११७ करोड़ अपवंचित आयकर में से केवल ६२ करोड़ रुपये इकट्ठे हो सके थे । इस उपबन्ध के कारण १९५६ के बाद ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना, यदि आप कोई सीमा निर्धारित करते हैं तो, कठिन हो सकता है । किसी करदाता की किताबों में यह पता चल सकता है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने कर अपवंचन किया है किन्तु उस के मामले पर निर्णय हो चुका है । सरकार को इस बात की छूट होनी चाहिए कि वह मामले को पुनः चालू कर सके । फिर ऐसे मामलों में सीमा निश्चित करने की क्या आवश्यकता है ? वे कोई सामान्य व्यापारी तो हैं नहीं । यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों के मामले निपटाने के लिए हमारे पास ऐसे अधिकार, असाधारण अधिकार अथवा सारभूत अधिकार होने चाहिएं । जब तक हम ऐसे व्यक्तियों के साथ सख्ती का बर्ताव नहीं करेंगे तब तक हम समृद्धशाली भारतवर्ष कैसे बना सकते हैं ? हमें ऐसा कार्य करना है जो भविष्य में कर अपवंचन करने वाले व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण बन जाये । इसलिए मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या को इस दृष्टिकोण से देखे और कहे कि समय की यह अवधि कि इतने समय के भीतर अमुक खंड के अधीन कार्यवाही की जा सकती है हटा देनी चाहिए । ऐसी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड काफी उपयुक्त है । यदि आप इस बोर्ड को उपयुक्त नहीं समझते तो आप यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का होना चाहिए । हो सकता है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के कुछ व्यक्ति कुकृतियों में सम्मिलित रहते हों । किन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं है कि सम्पूर्ण विभाग ही खराब है । कर बचाने वालों का पता लगाना केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का राष्ट्रीय कर्त्तव्य है । मेरा पूर्ण विश्वास है कि पूरा का पूरा विभाग कुकृतियों में सम्मिलित नहीं होगा । एक दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं । सरकार को कर बचाने वाले व्यक्तियों का पता

लगाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए ।

मेरा तीसरा संशोधन प्रकाशन के सम्बन्ध में है । दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने यह नियम बना दिया है कि आय-करदाताओं तथा कर बचाने वालों के विवरण प्रकाशन नहीं किये जा सकते । हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती । यहां तक कि संसद् के गवेषणा विभाग ने भी यह जानकारी देने में नियम के अनुसार अपनी असमर्थता प्रकट की है । मैं ने १९५३ तक के तो आंकड़े दे दिये हैं, मैं चाहता था कि आज तक के आंकड़े दे सकता । यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है । देश का सामान्य नागरिक आज यह चाहता है कि इन कर बचाने वालों का समाज से बहिष्कार हो । हमारे प्रधान मंत्री इन बड़े बड़े आदमियों के यहां जाते हैं, वे उस समय यह भूल जाते हैं कि सामान्य व्यक्तियों पर उन की उपस्थिति का यह प्रभाव पड़ेगा कि सरकार उन के प्रति मुलायम है अथवा उदार है । हो सकता है कि प्रधान मंत्री ने यह अनजाने में किया हो । आज इन व्यक्तियों के पास अपने अपने समाचार पत्र हैं, उन के पास अपने प्रेस हैं, अपने लाभ की सभी चीज़ें वे प्रसारित करते हैं । जब हमारे प्रधान मंत्री या किसी राज्य के मुख्य मंत्री अथवा कोई अन्य उच्च अधिकारी इन व्यक्तियों के यहां जाते हैं तो देश का सामान्य नागरिक तो यह समझता है कि इन की देश के मंत्रियों अथवा उच्च अधिकारियों से मित्रता है अतः उन में दोष ढूंढने, या निकालने, या बताने से कोई लाभ नहीं है । प्रजातन्त्र के स्वस्थ विकास तथा प्रजातन्त्रीय देश में ऐसे व्यक्तियों के नाम छपने चाहिएं । मैं यह नहीं कहता कि जब उन का अभियोग निलम्बित है तो प्रकाशन होना चाहिए । अभियोग की समाप्ति के तुरन्त बाद ही प्रकाशन हो जाना चाहिए । कुछ सदस्यों ने शिकायत की है कि निबटारे के मामलों में भी सरकार के दयालु होने के समाचार मिले हैं । सरकार को बताना चाहिए कि अमुक अमुक समाज विरोधी तत्व हैं । उन के विरुद्ध कानून बनाना हमारा कर्त्तव्य है । हम उन के विरुद्ध प्रचार करेंगे कि इन के कार्य-कलाप समाज विरोधी हैं अतः इन्हें समाज से निकाल देना चाहिए । अतः मैं यही कहूंगा कि स्वस्थ प्रजातन्त्र बनाने के लिए तथा अच्छी सरकार के हित के लिए सरकार को करारोपण के बाद कर बचाने वाले व्यक्तियों के नाम प्रकाशित कर देने चाहिएं ।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : अब तक जो कुछ भी कहा गया है वह १९३९ से १९४६ के बीच के समय के बारे में कहा गया है और फिर उस समय यह सरकार भी तो नहीं थी । इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि सरकार ने सब कुछ जान बूझकर किया था । यह ठीक है कि उस काल में कुछ कुकृतियां अपनाई गईं थीं । जब वर्तमान सरकार सत्तारूढ़ हुई तो इस ने इन मामलों की जांच करने का और उन व्यक्तियों से कुछ राजस्व इकट्ठा करने का विचार किया । अतः सरकार ने आय-कर जांच आयोग अधिनियम पारित किया, क्योंकि सामान्य विधि के अनुसार तो इन मामलों को लेने के काफी अधिकार सरकार के पास नहीं थे । और जांच शुरू हुई । इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां आईं—वे क्या थीं यह तो मुझे मालूम नहीं—किन्तु उन के फलस्वरूप यह कार्य स्थगित करना पड़ा । अतः इस के बाद आय-कर जांच अधिनियम का खंड ५(४) शक्ति के परे हो गया । सरकार का कहना है कि उस कमी को दूर करने के लिए यह उपबन्ध लाया गया है । यदि यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया होता तो उन मामलों के विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं होती जिन की कि जांच नहीं हुई है । श्री एन० सी० चटर्जी के तर्क में कुछ जान थी कि जिस समय यह मामला चल रहा था तो सरकार का विचार

[श्री पाटस्कर]

उन्हीं मामलों को लेने का था जिन का कि उल्लेख हो चुका है और जो कि निलम्बित थे। माननीय चटर्जी ने जो कुछ कहा है उस में सचाई भी हो सकती है। मेरा विचार है कि इस परन्तुक के द्वारा जिसे कि श्री के० के० बसु निकालना चाहते हैं सरकार अनिश्चित काल के लिए शक्ति नहीं चाहती।

इसलिये सरकार को यह मालूम करना है कि उचित क्या है जिसे कि वह करे? और इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह वांछनीय नहीं है कि युद्ध काल की समाप्ति के कम से कम दस वर्ष बाद यह उन मामलों की फिर से जांच करने का अधिकार मांगे जो कि दस वर्ष पूर्व हुए थे। इसलिए यह बहुत ही उपयुक्त बात है जिस की आशा सरकार से की जा सकती है।

दूसरी ओर माननीय मित्र श्री बसु कहते हैं कि यह स्थायी बात होनी चाहिए। सरकार ने मध्य मार्ग अपनाया है कि दस वर्ष बाद कोई लाभ नहीं होगा। दस वर्ष बाद क्या साक्ष्य मिल सकता है? हमें आशा नहीं है कि दस वर्ष के पश्चात् कोई प्रमाण उपलब्ध हो सके। इतना ही नहीं सरकार ने एक परन्तुक भी रखा है जिस से लोगों को यह कहने का अवसर न मिले कि इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग किया जा सकता है। आरोप इतने अधिक लगाये गये हैं कि जान पड़ता है कि सभा का एक खण्ड सरकारी नौकरों को बहुत अधिक सन्देह की नज़र से देखता है। इसी लिये सरकार भी आयकर अधिकारियों को यह अधिकार पूर्ण रूप से नहीं देना चाहती है। इसीलिये यह परन्तुक बढ़ा दिया गया है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा विचार किये जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जायेगी। एक और बात यह कही गई है कि चूंकि नाम प्रकाशित नहीं किये जाते हैं इसलिये पता नहीं लगने पाता कि इस प्रकार के व्यक्ति कौन हैं। परन्तु कितने ही वर्षों से आय-कर का यह सिद्धान्त रहा है कि इस प्रकार के काग़ज़ात सार्वजनिक रूप से प्राप्य नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग अवश्य चलाये जाते हैं। परन्तु मुकदमे इसलिये नहीं चलाये जाते हैं कि किसी के विरुद्ध कोई द्वेष रखता है। मुकदमे तो राज्य की सुरक्षा के लिये चलाये जाते हैं।

सच बात यह है कि लगभग दो सौ मामले ऐसे हैं जो अभी विचाराधीन हैं। इन मामलों की जांच करने के लिये शक्तियों की आवश्यकता है। इसी बीच में यदि कुछ और जानकारी मिलती है और ऐसे और भी मामले पाये जाते हैं तो वे मार्च १९५६ तक सूचना जारी करेंगे। तीसरी बात यह है कि एक लाख रुपये की सीमा रख दी गई है। यह इस लिये कि सरकार यह नहीं चाहती कि केवल लोगों के चरित्रों की जांच करने में रुपया बरबाद करे। मान लीजिये आठ वर्ष की आय एक लाख रुपये से भी कम है। तो सरकार का बहुत अधिक रुपया जांच करने में खर्च होगा और उस की तुलना में जो कर वसूल होगा वह बहुत कम होगा।

इस विधान के बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में तो सभी सहमत हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि हो सकता है कि वे, जिन के विरुद्ध जांच की जा रही है या जिन के विरुद्ध जांच आरम्भ की जा सकती है, कर का भुगतान करने से बच जायें; और यह कोई भी नहीं चाहता है।

मेरे विचार से यह बहुत ही उचित विधान है जिस को तैयार करने में हर प्रकार के ऊंच नीच का अच्छी तरह ध्यान रखा गया है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह

विधान स्वीकार कर लिया जाये । जो भी संशोधन रखे गये हैं उन में से एक की भी आवश्यकता नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) : अभी तक सरकार की ओर से प्रस्तुत किये गये विधेयकों का मैं ने या तो विरोध किया है या उन का आंशिक समर्थन किया है परन्तु यह पहला विधेयक है जिस का मैं हृदय से समर्थन कर रहा हूं । सिद्धान्त रूप से तो इस विधेयक से सभी सहमत हैं परन्तु केवल खण्ड २ के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई गई हैं जो विधेयक का क्रियाकारी भाग है । कहा गया है कि जिस आय की जांच की जायेगी वह युद्धकालीन आय है और अब इतना समय बीत चुका है कि सरकार उस की अच्छी तरह जांच नहीं कर सकती है । साथ ही यह भी कहा गया है कि यह उचित नहीं है कि केवल व्यापारियों ही की युद्धकालीन आय की फिर से जांच की जाये । जो भी आपत्तियां उठाई गई हैं वे न तो किसी तर्क पर आधारित हैं और न उन में कोई तत्व ही है । किसी हद तक श्री एन० सी० चटर्जी तथा श्री यू० एम० त्रिवेदी की आपत्तियां विचारणीय हैं ।

प्रमाणों के एकत्रित करने के सम्बन्ध में कहा गया है कि इतना समय बीत चुका है कि अब प्रमाणों का मिलना कठिन है और न कर के दायित्व से मुंह चुराने वाले व्यापारियों ही से यह आशा की जा सकती है कि वे इतने समय के पश्चात प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं या साक्षियों को उपस्थित कर सकते हैं । परन्तु मेरा विचार है कि व्यापारी हिसाब किताब के मामले में इतने होशियार हैं कि उन की कहावत है कि चार आने का तेल जाये पर एक पाई न जाये ।

मेरा विचार है कि इस अधिनियम से अधिक काम नहीं चल पायेगा क्योंकि उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों का हस्तक्षेप होवेगा ही और कर देने के दायित्व से बचने वालों की वकालत करने के लिये मेरे माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी के ऐसे व्यक्ति आयेंगे ही । फिर भी यदि किसी व्यापारी ने ५०,००० रुपये से काम आरम्भ किया था और युद्धकाल में वह लाखों का कारोबार कर रहा है तो यह प्रत्यक्ष है कि उस ने चोर बाजारी और मुनाफाखोरी की है । ऐसे व्यक्तियों की आय की जांच तो होना ही चाहिये । उच्चतम न्यायालय ने आयकर जांच आयोग अधिनियम की धारा ५(४) को शक्ति के परे घोषित कर दिया है इसीलिये सरकार को संशोधन कर के खण्ड २ बनाना पड़ा । कहा जाता है कि खण्ड २ का बनाना आय-कर जांच आयोग का अपमान है करना यह बिल्कुल निराधार है ।

माननीय उपमंत्री ने बताया है कि तीन सौ मामलों में से लगभग दो सौ मामलों की आयोग इतने दिनों में जांच कर चुका है और यह पता लगा है कि इन मामलों में आय-कर की चोरी की गई है । अब सवाल इन के विरुद्ध कार्यवाही करने का है । कार्यवाही करने के लिये जो शक्तियां संसद् ने आयोग को या सरकार को दी हैं वे कम हैं इसीलिये सरकार को आय-कर अधिनियम का संशोधन करना पड़ा । आयों की असमानता घटाने के लिये लोककल्याण राज्य या जनतंत्रात्मक सरकार ऐसे विधेयक प्रस्तुत कर सकती है तो इस में आयोग के अपमान का कौन सा सवाल है ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता परन्तु मेरा विचार है कि चोरबाज़ारी और मुनाफ़ाखोरी करने वाले सभी व्यापारियों को पकड़ने के लिये यह संशोधन पर्याप्त नहीं होगा

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : मैं अपने माननीय मित्र श्री के० के० बसु के संशोधनों का समर्थन करता हूं । यहां एक मूलभूत प्रश्न है । सरकार नागरिकों के कुछ अधिकारों की रक्षा करती हूं

[पंडित के० सी० शर्मा]

इसीलिये नागरिक पर भी कुछ बातों का दायित्व होता है । यदि नागरिक कर देता है तो इस का यह अर्थ नहीं है कि वह कोई दान दे रहा है उस पर भी कुछ दायित्व है और वह अपना दायित्व निभा रहा है । एक व्यक्ति जितनी भी सम्पत्ति का अर्जन करता है वह उस के कठिन परिश्रम का परिणाम है परन्तु उस में कुछ योग राज्य का भी है । जिस के घर में धन होता है राज्य उस की सुरक्षा का प्रबन्ध करता है । इसलिये यदि नागरिक कर देने से बचता है तो वह ऐसे धन को अपने पास रखने की अनाधिकार चेष्टा करता है जिस के रखने का उसे कोई अधिकार नहीं है । इसलिये कर की चोरी करने वाला भी उतना ही निन्दनीय है जितना एक साधारण चोर । इस का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर भी बहुत खराब होता है । इसी से भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है । यह बहुत ही गंभीर मामला है इसी लिये इस सम्बन्ध में मैं श्री बसु के दृष्टिकोण से सहमत हूं ।

दूसरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार के चोरबाजारी करने वाले और मुनाफाखोर तो साधारण चोरों से भी अधिक खतरनाक हैं क्योंकि उन्हों ने युद्धकाल में जब हर वस्तु का अभाव था उन्हों ने बिना वस्त्र के लोगों को नंगा रखा और बीमारों को दवाइयों से वंचित रखा । ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखने का क्या कारण हो सकता है ? जब एक सब-इंस्पेक्टर चोरों को पकड़ने के लिये योग्य समझा जाता है तो क्या आय-कर अधिकारी एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर से कम ज़िम्मेवार व्यक्ति है ? एक आयकर अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों से कौन सी निजी शत्रुता हो सकती है जो कर की चोरी करते हैं और समाज में अनैतिकता फैलाते हैं ? यह भी एक विचित्र तर्क है कि आयकर अधिकारी को एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में गैर ज़िम्मेवार समझा जा रहा है जो नैतिक दृष्टि से इतना पतित है कि उस ने कर की चोरी कर के अपना भण्डार भर रखा है । ऐसे व्यक्ति को तो हर प्रकार से दण्ड मिलना चाहिये ।

मैं अब भी आशा करता हूं कि वित्त मंत्री एक ऐसा व्यापक विधान तैयार करेंगे जिस से आय-कर विभाग को जांच करने के, तलाशी लेने के तथा खाते इत्यादि को जब्त करने के अधिकार दिये जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री बसु के संशोधनों का समर्थन करता हूं ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मैं इस इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल का समर्थन इसलिये कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस प्रकार का बिल ऐसे लोगों के खिलाफ़ अमल में लाना बहुत ज़रूरी है जिन्हों ने बुरे मार्ग से ब्लैक मार्केट कर के पैसा जमा किया है और सरकार को टैक्स अदा नहीं करते हैं । मैं समझता हूं कि हमारे मिनिस्टर महोदय को फीगर्स देनी चाहिये थीं कि इस बिल की मदद से इनकमटैक्स के रूप में हमारी गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, और इस से क्या लाभ होगा । फीगर्स के अभाव में मैं नहीं समझता कि किस तरह इस बिल की उपयोगिता का अन्दाज़ा हो सकता है और उस का समर्थन किया जा सकता है, वैसे जहां तक इस बिल के उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं पूर्णतया उस के पक्ष में हूं और चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो चोरी से पैसा कमाते हैं उन को लाइट में लाना चाहिये और कड़ा दंड देना चाहिये क्योंकि तभी लोगों को भविष्य में शिक्षा मिलेगी । यह जो करीब दो सौ आदमियों के नाम दिये हैं, मेरे खयाल से उन को कड़ी सज़ा देनी चाहिये थी, उन को बहुत कम सज़ा दी गयी और जिस से सहज ही दिल में यह खयाल पैदा होता है कि सरकार के अफ़सरान उन से

पैसा खा लेते होंगे और याद रखिये जब तक गवर्नमेंट काला बाज़ार करने वालों को सज़ा नहीं देगी तब तक इस देश में करप्शन बन्द होना मेरे ख़याल से बहुत मुश्किल बात है ।

दूसरी बात जिस की तरफ़ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह हमारे बड़े बड़े सरकारी अफ़सरानों की तरफ़ है । पूना के अन्दर मैं आप को बतलाऊं कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के बड़े बड़े अफ़सरान, आई० सी० एस० वालों के बड़े बड़े आलीशान बंगले बने हुए हैं, उस सम्बन्ध में कोई जांच अथवा पड़ताल नहीं की जाती कि इतना पैसा उन के पास कहां से आता है । बिज़नेस वालों से ये बड़े बड़े अफ़सरान पैसा लेते हैं और अपने लिये बड़े बड़े आलीशान बंगले बनवाते हैं, वह जो रिश्वतखोरी करते हैं उस के लिये हमारी गवर्नमेंट की तरफ़ से कोई छानबीन नहीं होती है । हमारे इनकम टैक्स आफ़ीसर्स लोग बड़े बड़े बिज़नेस मैगनेट्स से मिले होते हैं और जिस का नतीजा यह होता है कि सरकार को जो टैक्स से आमदनी होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है । मैं समझता हूं कि हमारे देश में इतनी हिडेन इनकम पड़ी है कि अगर उस का पता लगाया जाय तो सरकार के खज़ाने में काफ़ी पैसा आ जायेगा और आज जो सरकार कहती है कि उस को पैसे की सख़्त ज़रूरत है, फाईव ईयर प्लान इम्पलीमेंट करने के लिये उस को पैसा चाहिये, अछूतों की उन्नति के वास्ते स्कीम अमल में लाने के लिये पैसा चाहिये और दूसरी दूसरी स्कीम्स के वास्ते सरकार पैसा मांगती है, तो अगर सरकारी अफ़सरान ईमानदारी से काम करें और चोर बाज़ार से पैसा कमाने वालों का पता लगा कर उन से टैक्स वसूल करें तो मैं समझता हूं कि सरकार को पर्याप्त पैसा मिल सकेगा । ज़रूरत इस बात की है कि सरकार हम को कौनफ़िडेंस में ले, हम उन को ऐसे केसेज़ बताने को तैयार हैं लेकिन मुश्किल यह है कि हम चूंकि विरोधी पार्टी में हैं इसलिये हमें सरकार अपने विश्वास में नहीं लेती है और जब तक आप हम को अपने विश्वास में नहीं लेते तब तक हमारे मंत्री महोदय का कहना कि हम को इनकमटैक्स के इवेज़न के केसेज़ बतलाइये कोई मानी नहीं रखता । हम आप को क्या बतलायें, हमारे पास कोई पावर भी है, ट्रेज़री बेंचेज़ के ऊपर आप बैठे हैं, सारी पावर आप के हाथ में है और चूंकि आप हम को विश्वास में नहीं लेते हैं, इसलिये अगर हम कोई केस बतायेंगे भी तो आप हम को ब्लैक मार्केटर मान कर सज़ा दे देंगे और कह देंगे कि अरे यह झूठी बात है.....

सरदार ए० एस० सहगल : आप एकाउन्ट ठीक रखियेगा ।

श्री पी० एन० राजभोज : मेरे दिमाग में कई बातें ऐसी हैं जिन के ज़रिये आप उन पर टैक्स लगा कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, मसलन् नमक के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हैं और उस के फलस्वरूप हमारे इनकमटैक्स की आमदनी ज़्यादा बढ़ जायगी और सरकार को ज़्यादा पैसा मिलेगा ।

सभापति महोदय : हम क्लाज नं० २ पर बहस कर रहे हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : जो क्लाज नं० २ है और उस पर जो अमेन्डमेन्ट है उसी पर मैं बोलना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : आप क्लाज २ पर ही बोलें ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं आप की आज्ञा से यह बताना चाहता हूं कि इस में कई बातें हैं । हमारे श्री मूल चन्द दुबे का जो ऐमेन्डमेन्ट है कि ५०,००० होना चाहिये, मेरे ख्याल से वह ठीक है । एक लाख तो आप ने बता दिया, लेकिन जिन की इनकम ५०,००० रु० है उन के लिये भी कुछ न कुछ इन्तजाम होना चाहिये, जैसे बैंक्स हैं, जमींदार

[श्री पी० एन० राजभोज]

हैं, लिमिटेड फर्म्स हैं, सिनेमा ऐक्ट्रेसेज़ हैं या इसी तरह के जो और पैसे वाले लोग हैं उन के बारे में भी कुछ न कुछ जांच होनी चाहिये । इसलिये जो हमारे श्री मूलचन्द जी का ऐमेन्ड-मेन्ट है उस के लिये मैं कहता हूं कि वह ठीक है और उस को पास होना चाहिये ।

हमारी गवर्नमेंट इस बारे में प्रगति की ओर पैर उठा रही है, लेकिन इस इनकम टैक्स के बारे में जो कुछ वह कर रही है, मैं समझता हूं कि उस की गति जरा मन्द है । मेरा ख्याल है कि गवर्नमेन्ट की नीति इस बारे में जरा जोर से चलनी चाहिये । इतनी धीमी गति से कोई काम आप का नहीं हो सकेगा । और जो लाभ इस से हमारी जनता को हो सकता है वह नहीं होगा । इसलिये मेरी राय है कि जिन लोगों ने काफी पैसा बनाया है उन की एकाउन्ट बुक्स को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये और मुनाफाखोर लोगों को पकड़ना चाहिये । जब उन को पुलिस के डंडों का डर रहेगा तो वह जल्दी से जल्दी अपना हिसाब बतला देंगे । यह सरकार जनता के नाम से चलती है, लेकिन मुनाफाखोर लोगों के खिलाफ सरकार कोई ऐक्शन नहीं लेती है । वह सिर्फ गरीब लोगों को ही पकड़ कर जेल भेजती है । जो दूसरे बड़े बड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, जो जमींदार हैं और जो गवर्नमेन्ट आफिसर्स हैं उन के बारे में जांच पड़ताल नहीं कराती है । इसलिये मैं श्री मूलचन्द दुबे जी के ऐमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं । इस ऐमेन्डमेन्ट को जरूर पास होना चाहिये । जब तक हमारे पास पैसे की कमी है, जब तक हमारे सामने बड़े बड़े प्लैन हैं, जब तक उन को पूरी तरह से अमल में लाने में पैसे की दिक्कतें हैं, तब तक इस बारे में मन्द गति से चलने से हमारा काम नहीं चलेगा । मेरा विश्वास है कि इस बारे में गवर्नमेन्ट और जोर से आगे कदम बढ़ा कर देश का भला करेगी ।

श्री एन० ए० बोरकर (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, लड़ाई के जमाने में अनेक चीज़ें पैदा हुईं । हर तरह की चीज़ें उस में हम ने देखीं । जो चीज़ें उस वक्त पैदा हुईं उन की तरफ आज हमारी गवर्नमेन्ट का ध्यान जा रहा है, और इसीलिये यह विधेयक आया है । इस के लिये मैं गवर्नमेन्ट को धन्यवाद देते हुए, इस बिल का स्वागत करता हूं ।

लड़ाई के ज़माने में दो वर्ग पैदा हुए । एक वर्ग ऐसा था जिस ने गरीबों का खून चूस कर खूब पैसा कमाया और लाखों रुपये उस के पास आये । वह किस प्रकार आये, इस की तो आप जांच पड़ताल करने जा रहे हैं । जब इस की जांच पड़ताल होगी तो उस का इनकम टैक्स गवर्नमेन्ट के पास आयेगा । लेकिन यह जो दो वर्ग पैदा हुए, उन के लिये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जांच करते समय हमारे सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करें । हम ने देखा है कि जांच करने का काम सरकारी कर्मचारी पर ही आता है । जो लोग व्यापारी होते हैं उन के बहीखातों को आप ने देखा होगा । वह बहीखाते दो तरह के होते हैं, और कहीं कहीं तीन तरह के होते हैं । एक बहीखाता तो ऐसा होता है जिस को कि उन के घर की औरत भी नहीं देख पाती है । वह तो उन की पेटी में बन्द रहता है । तो जो हमारे कर्मचारी हों या जो इनकम टैक्स आफ़िसर हों उन को इस का ध्यान रखना चाहिये क्योंकि जब कि व्यापारी की औरत भी उस को नहीं देख सकती है तो बेचारे सरकारी कर्मचारी कैसे देख पायेंगे ।

दूसरी बात यह है कि खसारा फंड के नाम से एक और ऐटम बम हमारे व्यापारियों ने रख छोड़ा है । यह भी एक ऐसी चीज़ है जिस का पता सरकारी कर्मचारी या इनकम टैक्स आफ़िसर को नहीं लग सकता है । जब जांच

करने का मौक़ा आता है तो इस खसारा फंड में जितना रुपया व्यापारी चाहे डाल दे। किसी को पता नहीं चल सकता कि कम्पनी कैसे चल रही है, और क्या चीज़ है। मैं चाहता हूं कि खसारा फंड जिन कम्पनियों ने बना रखा है, जिस का निर्माण लड़ाई के ज़माने में हुआ था, उन के इस ऐटम बम की भी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिये। यदि इस खसारा फंड के पैसे का पता ठीक से चल गया तो उस से जो पैसे मिलेंगे उस से हमारी फर्स्ट फाइव इअर प्लान में जितनी कमी होगी वह भी पूरी हो जायेगी और सेकेन्ड फाइव इअर प्लान को भी पूरा कर सकेंगे। इतनी रक़म हम उन से पैदा कर सकते हैं क्योंकि उन्हों ने लड़ाई के जमाने से आज तक बहुत पैसा बचा कर रखा है।

तीसरी चीज़ मैं यह रखना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों का जो आज तक का ढांचा रहा है काम करने का उस में एक यह है कि उन का व्यापारियों से काफी मेल मिलाप रहता है, उन का भी उन से ताल्लुक रहता है। वह लोग व्यापारियों से मिल जाते हैं जिस का नतीजा यह होता है कि जो गरीब जनता है, मज़दूर जनता है, उस का खून चूसा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊंगा कि हमारे गोंदिया में एक बीड़ी छांट बिल्डिंग बनी है। मज़दूर लोग रोज़ाना जो काम करते हैं उस की छांट करने पर वह बिल्डिंग बनाई गई है उस का नाम ही बीड़ी छांट बिल्डिंग रखा गया है। बीड़ी की छांट करने पर और मज़दूरों का खून चूस कर लड़ाई के ज़माने में यह बिल्डिंग बनी है। ऐसी बिल्डिंग को हमें खत्म करना चाहिये। भ्रष्टाचार का यह जागता स्वरूप हम रोज़ देखते हैं।

जो बड़े बड़े व्यापारी लोगों के काम करने का तरीक़ा बन गया है, जो उन के दिल और दिमाग बन गये हैं उस को बदलने के लिये यह मेज़र आया है। लेकिन वह पूरी तरह से तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम न करें। इसलिये उन के पुराने ढांचे को भी हमें बदलना चाहिये। उन को जनता से और व्यापारियों से भी ईमानदारी से बर्ताव करना चाहिये। जब भी वह किसी व्यापारी के यहां जायें, उन को दोनों तीनों बहीखातों की जांच करनी चाहिये। जो बहीखाते व्यापारी उन के सामने रखते हैं, उन के भुलावे में उन को नहीं आना चाहिये। अगर सरकारी कर्मचारी ठीक ढंग से अपना काम करेंगे तो हमारा काफी फायदा होगा।

सभापति महोदय, मैं आप का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप ने मुझे जो समय दिया है, उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं और यह चाहता हूं कि जो बिल लोक सभा के सामने आया है वह पूरे हथियार का काम देगा उन लोगों के लिये जिन्हों ने गरीबों का खून चूसा है और अपनी पेटियों में गवर्नमेन्ट का तथा जनता का पैसा छिपा कर रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, अगर लुटेरे कम हो जायें और जनता तथा सरकारी नौकर ईमानदारी से काम करें तो वह सब हम को मिल सकता है और निर्माण के काम में लाया जा सकता है।

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने मित्र श्री दुबे के संशोधनों को उठाऊंगा। वे चाहते हैं कि कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुछ संपत्ति पूर्वस्थिति के रूप में हो। मैं यह स्वीकार नहीं करता क्योंकि उस दशा में वे लोग जिन्होंने अपवंचन किया था तथा अपनी सम्पत्ति का अन्य संक्रामण किया था, लाभ की स्थिति में रहेंगे।

वे फिर निबटारे सम्बन्धी खंड को रद्द करना चाहते हैं। जैसा कि मैं ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया था, यह सोच समझ कर रखा गया है। वास्तव में आयकर अनुसन्धान

[श्री एम० सी० शाह]

आयोग अधिनियम में भी निबटारे का खंड था । जब हम इन को निबटाना चाहते हैं, तब हम चाहेंगे कि हमें उन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो जिन का निर्धारण अभी बाकी है और यथा संभव शीघ्र हम उन से कोई सुलह कर निबटारा कर लें और कर एकत्र कर लें और सारे विषय को समाप्त कर दें ।

मेरे मित्र बसु के तीन संशोधनों के सम्बन्ध में.....

श्री पी० एन० राजभोज : इस बिल से कितना पैसा जमा होगा, यह बताइये ।

सभापति महोदय : अब आप चुप हो कर सुनिये ।

श्री एम० सी० शाह : क्या वे ५(४) अथवा ५(१) और ५(४) के बारे में जानना चाहते हैं ?

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, वह जानना चाहते हैं कि यह जो कानून आप बना रहे हैं इस से कितना रुपया इकट्ठा होगा ।

श्री एम० सी० शाह : कल मैं ने कुछ आंकड़े दिये थे और उस में कुछ गलती है । ५(४) के अन्तर्गत पहले निबटाये गये सभी मामलों में, कर ५.२५ करोड़ रुपये होता है ।

४ म० प०

फिर भी अभी १४५ मामलों में अनुसन्धान बाकी है । ५(१) धारा के अन्तर्गत ८३० मामले पहले ही निबटाये गये थे । इन ८३० मामलों में से ३६९, धारा ५(४) के अन्तर्गत निर्देश किये गये थे । धारा ५(१) के अन्तर्गत ४८२ मामले हैं और पता नहीं कि इन ४८२ मामलों में से कितने निकल जायेंगे । यदि मान लिया जाये कि आयकर अनुसन्धान आयोग इस निर्णय पर पहुंचे कि धारा ५(१) के अन्तर्गत अनुसन्धान किये जाने वाले मामलों में कई अन्य बातें भी शामिल हैं, तो अब वे अनुसन्धान आयोग द्वारा धारा ५(४) के अन्तर्गत नहीं किये जा सकते । वे केवल इस अधिनियम के अन्तर्गत ही लिये जायेंगे और हम नहीं जानते कि ऐसे कितने मामले होंगे ।

मेरे मित्र अपने एक संशोधन में एक लाख रुपये की सीमा को रद्द करना चाहते हैं । मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजस्व के दृष्टिकोण से यह अच्छा है और हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिये । फिर भी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, साधारण लोगों के पास कई वर्षों तक के बहीखाते न हों । अतः इन छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न होगा । हम उन लोगों को उत्पीड़ित नहीं करना चाहते और इसीलिए हम केवल उन्हीं लोगों का मामला लेना चाहते हैं जिन्हों ने १ लाख रुपये से अधिक अपनी आय पर कर-अपवंचन किया है ।

श्री के० के० बसु : उन के बहीखाते अवश्य नष्ट हो गये होंगे और हम उन्हें प्राप्त करने में असमर्थ होंगे ।

श्री एम० सी० शाह : हम प्रयत्न करेंगे । अब ३१-३-१९४६ तक की समय सीमा को रद्द करने के सम्बन्ध में एक दूसरा संशोधन है । जैसा कि मैं ने अभी कहा, धारा ५(४) के अन्तर्गत ३६९ मामले हैं और धारा ५(१) के अन्तर्गत ४८२ मामलों में से कहीं अधिक हैं । अतः हम ३१-३-१९४६ तक अवधि की सीमा रखना चाहते हैं । उस समय तक जिन का अन्तिम निर्णय न हुआ हो उन की सूचनाएं हम जारी करना चाहते हैं किन्तु सूचनाओं के बारे में हम परिसीमा रखना चाहते हैं ।

अब प्रश्न यह है कि धारा ३४ में कोई समय सीमा होनी चाहिये अथवा नहीं । अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में वह नहीं है । कराधान जांच समिति इस विषय में अनुसन्धान कर रही है और जैसा कि मैं ने अपने उत्तर में पहले ही बताया है, वह प्रति

वेदन शीघ्र प्राप्त होगा । मैं ने यह भी बताया था कि जांच समिति से सिफारिशें प्राप्त होने पर हम उन पर विचार करेंगे और यदि उन की सिफारिश हो कि धारा ३४ में कोई साधारण समय सीमा नहीं होनी चाहिये तो हम व्यापक संशोधित आयकर अधिनियम में उसे रखेंगे ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि आप यह आशा करते हैं कि आयकर अनुसन्धान आयोग के समक्ष लंबित मामले दूसरे वर्ष में समाप्त हो जायेंगे ? मुझे कहना पड़ता है कि प्रगति तीव्र नहीं है ।

श्री एम० सी० शाह : अनुसन्धान आयोग का कार्यकाल ३१-१२-१९५५ को समाप्त हो जाता है और हम आशा करते हैं कि ये सभी मामले, लगभग ४८२, उस समय तक संभवतः समाप्त हो जायेंगे । धारा ५(१) के अन्तर्गत, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ४८२ मामले हैं किन्तु उन के समुदाय हैं । एक समुदाय में लगभग ५० हैं, दूसरे में ६० इत्यादि । संभवतः वे कार्य में संलग्न हैं और उस समय तक वे समाप्त कर देंगे । इसीलिए हम ने यह लिखा है कि ३१-३-१९५६ तक सूचनायें जारी की जायें और साधारण प्रश्न कराधान जांच समिति के लिए छोड़ दिया जाय ।

आगे उन का तीसरा संशोधन यह है कि एक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष पटल पर रखा जाये । हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते और वह विधि मे नहीं जोड़ा जा सकता । मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि वे सभी मामले पटल पर रखे जायेंगे जो निबटाये गये हैं, जिन का अनुसन्धान दिया गया है, जिन में मांगें बढ़ाई गई हैं और कर एकत्र किया गया है । उन्हें पटल पर रखने में सभा को क्या कोई कठिनाई है ।

श्री के० के० बसु : क्या उस में नाम भी सम्मिलित होंगे ?

श्री एम० सी० शाह : नामों के सम्बन्ध में, कदाचित् माननीय सदस्य जानते होंगे कि भारतीय आयकर अधिनियम में एक धारा ५४ है । जब तक वह संशोधित नहीं हो जाता और जब तक वह संविधि पुस्तक में है, तब तक सरकार करदाताओं के नाम नहीं बता सकती । जहां तक अनुसन्धान आयोग का सम्बन्ध है, उस के लिए भी उपबन्ध है कि नाम नहीं बताये जा सकते । मेरे मित्र को यह शिकायत है कि अनुसन्धान आयोग के सम्बन्ध में हम आंकड़े नहीं देते और वे गुप्त रखे जाते हैं । उन्हें गुप्त नहीं रखा जाता । वास्तव में, प्रत्येक सत्र में, अनेक ऐसे प्रश्न होते हैं कि कितने मामले निबटाये गये, कितने मामले तय किये गये, कितनी मांग बढ़ाई गयी और कितनी आय है । हम हमेशा यह जानकारी देते हैं । नामों के विषय में हम जानकारी नहीं दे सकते । आयकर अधिनियम के धारा ५४ तथा अनुसन्धान आयोग अधिनियम के अनुसार, सरकार के लिए आवश्यक है कि वह नाम गुप्त रखे । जब तक वे धाराएं लागू हैं, सरकार नाम नहीं बता सकती ।

श्री के० के० बसु उठे--

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी अन्य टिप्पणियां तृतीय वाचन के लिए रख छोड़ें ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, वह कथन गलत है । मैं ने कतिपय तथ्यों के बारे में, न कि नामों के बारे में, मांग की थी और मुझे यह बताया गया कि वे नियमानुसार उन के बारे में नहीं बता सकते ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मंत्री महोदय से निजी रूप से इस का स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, आंकड़े न देने की शिकायत गलत है । आंकड़े देने के विषय में कुछ भी गप्त नहीं है । लगभग एक सप्ताह

[श्री एम० सी० शाह]

पूर्व मैंने सभी आंकड़े दिये थे और वे आज भी मेरे पास हैं जिन्हें मैं किसी समय भी दे सकता हूं। किन्तु नामों के सम्बन्ध में, जब तक धारा ५४ संविधि पुस्तक में है, तब तक नाम नहीं बताये जा सकते। अतः मैं सभी संशोधनों का बिरोध करता हूं और मुझे आशा है कि सभा भी उन्हें अस्वीकार करेगी।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : क्या श्री मूलचन्द दुबे चाहते हैं कि मैं उन के संशोधन मतदान के लिए रखूं ?

श्री मूलचन्द दुबे : नहीं, श्रीमान्। मैं उन्हें वापस लेने की अनुमति की प्रार्थना करता हूं।

संशोधन संख्या ८ तथा १० सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ तथा ११ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १, ३, तथा ४, पूरा नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, ३, तथा ४, पूरा नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को पारित किया जाय"।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कुमारी एनी मैस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : यह विधेयक इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य में कोई पूर्णरूपेण कर प्रणाली नहीं है, परन्तु मैं माननीय मंत्री के इस आश्वासन से सन्तुष्ट हूं कि वह करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात एक विस्तृत कर प्रणाली निर्धारित करने का विचार रखते हैं। मैं यह भी स्मरण दिलाना चाहती हूं कि हमारी अर्थ व्यवस्था मिश्रित है और जब तक बड़े बड़े पूंजीपतियों का अधिक प्रभाव है तब तक यह आवश्यक है कि हम करदाताओं के प्रति न्याय करें। आज करारोपण का भार निर्धन वर्ग पर पड़ रहा है। इस के साथ ही सरकार ने यह विधेयक स्वतः लाने का प्रयास नहीं किया है, यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् लाया जा रहा है। सभा में भी कई बार यह प्रश्न उठ चुके हैं कि कर अपवंचन अब भी हो रहा है। फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि आज यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और मुझे इस का समर्थन कर के प्रसन्नता हुई है। मेरी इच्छा थी कि यह विधेयक स्वेच्छा से लाया जाता तो अच्छा था।

इस विधेयक के कुछ उपबन्धों से इस का महत्व कम हो जाता है। धारा २ के खंड (२) में जो विभेद किया गया है वह स्वयं ही कर-दाताओं के साथ एक अन्याय है। इस सम्बन्ध में मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती हूं। धारा २ में आयकर अधिकारियों को अधिक शक्तियां न दिये जाने के कारण मैं भली भांति समझती हूं। सरकार को उन के भ्रष्ट होने का विश्वास है, परन्तु हमें निस्सन्देह ही बोर्ड में पूरा विश्वास है और बोर्ड के सदस्यों का

समाधान किये बिना कुछ नहीं किया जा सकता है । मेरे विचार में सरकार ने ऐसा उपबन्ध कर के बहुत ही अच्छा काम किया है ।

समस्त रूप से, मैं विधेयक का समर्थन करती हूं । यह एक हितकारी उपाय है । इस के उपबन्धों तथा खंडों में थोड़ा सुधार करके इसे और भी प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है । वर्तमान विधेयक में चोर बाजारियों के बच निकलने के लिये मार्ग है और ईमानदार लोग फंस भी सकते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं ने इस विधेयक के उपबन्धों का भी अध्ययन किया है और इस के बारे में कई महानुभावों के भाषण भी सुने हैं । मेरे विचार में इस विधेयक में एक नैतिक दर्शन का समावेश है और मैं उस का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । मेरे विचार में उस व्यक्ति से अधिक घृणित कोई भी मनुष्य संसार में नहीं है जो कि उचित अथवा अनुचित सभी ढंगों से धन अर्जन करता है । आज प्रातः ही श्री गाडगील ने बताया कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने सैनिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया था । मैं यह कहता हूं कि आज भी भारतवर्ष में चोर बाज़ार चलता है । अभी हाल ही में कई ऐसे ही पूंजीपतियों के प्रयत्नों के कारण चीनी का बनावटी अकाल पड़ गया था ।

इस विधेयक का आशय अपवंचित कर राशि को प्रकट करना है । यह तो ठीक है, परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इसे यथासंभव दीर्घ अवधि के लिये बनाया जाय ।

इस के अतिरिक्त इस विधेयक द्वारा केवल एक लाख से अधिक लाभ की राशि पर ही कर-निर्धारन किया जायेगा । मेरे विचार में कर अपवंचन उतना ही बुरा है जितना कि चोरी । इस पर उन्हीं न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही की जाये, जैसी कि चोरी आदि के बारे में की जाती है । यहां सम्भवतः आप यह कहें कि इस प्रकार निर्धारण पर बहुत अधिक व्यय होगा । यह ठीक है, परन्तु इसे तो रोकना ही है । यह विधि किसी एक निश्चित राशि पर ही लागू न की जाये बल्कि इसे सब मामलों पर ही लागू किया जाना चाहिये । यह सीमा अधिक है और लोग इस से बचने का उपाय कर सकते हैं । अभी श्री बोरकर ने कहा था कि बनावटी लेखे तैय्यार किये जा सकते हैं और बहीखाते आदि इधर उधर किये जा सकते हैं ताकि आयकर विभाग की आंखों में धूल झोंकी जाये । परन्तु आयकर विभाग तो नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर ही अपनी सारी कार्यपटुता का प्रदर्शन कर देता है । परन्तु जब किसी व्यापारी की आय का निर्धारण करना होता है तो वह उतना सतर्क और कठोर नहीं होता है जितना कि वह नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने वालों के प्रति होता है । इस में इस प्रकार की कुछ कमियां हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इन सब बातों पर ध्यान दें ।

मैं आप को इस विधेयक के लिये धन्यवाद देता हूं और यह निवेदन भी करता हूं कि सब मामलों पर लागू होने वाला एक विस्तृत विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

सभापति महोदय : अच्छा होगा यदि माननीय सदस्य अध्यक्ष-पद को सम्बोधित करें ।

श्री डी० सी० शर्मा : एक वक्ता को कभी दायें कभी बायें देखना पड़ता है । वह सदैव ही अध्यक्ष महोदय की ओर तो दृष्टि नहीं रख सकता है ।

सभापति महोदय : अध्यक्ष-पद उन की दृष्टि से स्पर्धा नहीं करता है परन्तु उन्हें अध्यक्ष-पद को ही सम्बोधित करना चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, मेरा कहने का आशय उस समय, यह था कि जब एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया जाय तो माननीय मंत्री को चोर व्यापारियों के प्रति दया नहीं करनी चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल : यह जो बिल लाया गया है, उस का मैं स्वागत करता हूं ।

मैं आप से यह अर्ज़ कर रहा था कि इनकम टैक्स आफिसर को जो अधिकार दिये गये हैं, उन में उन को पूरे अधिकार इसलिये नहीं दिये गये कि कहीं अपने अधिकार को प्राप्त करने के बाद वह गलती न करें । उन्हों ने सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यह अधिकार दिया है कि जब तक वह सैटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वह अफसर किसी क़िस्म का नोटिस नहों दे सकता । इस बिल में जो यह क्लाज़ रखा गया है उस से कोई भी इनकम टैक्स अफसर किसी किस्म की गलती नहीं कर सकता है ।

हमारे कुछ मित्रों का यह विचार है कि इनकम टैक्स डिपार्टमैन्ट जो काम कर रहा है वह ईमानदारी से नहीं करता है । मैं इस चार्ज के सम्बन्ध में कम से कम इस हाउस के सामने यह कहने के लिये तैयार हूं कि एक दो अफसरों के ग़लत काम करने से सारा डिपार्टमैन्ट बदनाम नहीं हो सकता है । इनकम टैक्स डिपार्टमैन्ट में इस वक्त जो कार्य हो रहा है वह सराहनीय है, हमें यह मानना पड़ेगा ।

सभापति जी मैं आप से यह कहने जा रहा था कि यह जो हमारा बिल है उस में अभी बहुत सी ख़ामियां हैं और उन ख़ामियों को यदि हम दूर कर सकें तो हम को बहुत ज्यादा फ़ायदा, ख़ास कर इनकम टैक्स के प्राप्त करने में, हो सकता है । चूंकि सरकार के पास इस वक्त समय नहीं है, इसलिये उन्हों ने यह बिल यहां पर रखा है । मान लीजिये कि एक व्यापारी है उस ने ब्लैक मार्केट कर के, काला बाज़ार कर के बहुत सा पैसा इकट्ठा किया है । उस को वक्त दिया गया फिर भी यदि उस ने अपनी प्राप्त की हुई रक़म को गवर्नमेंट के सामने या इनकम टैक्स डिपार्टमैन्ट के सामने नहीं रखा तो इस बिल के ज़रिये से सरकार उस से टैक्स वसूल कर सकती है । यहां पर मैं आप से यह भी पूछना चाहता हूं कि व्यापारी लोग जो हैं वह तो इस कानून के अन्दर आ सकते हैं, लेकिन दूसरे क्लासेज़ के जो लोग हैं उन के लिये कौन सी तजवीज़ आप लाना चाहते हैं ? माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सन् १९५५ तक वह एक काम्प्रिहेन्सिव बिल लाना चाहते हैं । यह खुशी की चीज़ है क्योंकि उस से कम से कम वह पैसा जिसे किसी व्यापारी ने, अफ़सरों ने या कंट्रैक्टर ने छिपा कर रखा है, और जो सरकार के पास आना चाहिये, वह बराबर आता रहेगा । आज भी हमारे यहां बहुत से लोग हैं जो कि अपने हिसाब छिपा कर काम करते हैं, और एक नहीं, दो या तीन हिसाब अपने पास रखते हैं । जब इनकम टैक्स का क़ानून फिर से आये तो उस में यह सब प्राविज़न होने चाहियें ताकि सरकारी कर्मचारी उन बहीखातों को देख सकें ।

इन शब्दों के साथ जो बिल आया है मैं उस का समर्थन करता हूं ।

श्री एम० सी० शाह : सभापति महोदय, जो कुछ मैं ने कहा है, मैं इस से अधिक और कुछ नहीं कहूंगा । मैं सभा का आभारी हूं कि इस विधेयक का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त हुआ है । मुझे यह आशा करनी चाहिये कि कर अपवंचक सभा के समस्त सदस्यों द्वारा प्रकट की गई भावनाओं पर ध्यान देंगे और जो भी कुछ बक़ाया है उस का भुगतान करदेंगे । जहां तक किसी विस्तृत विधान का सम्बन्ध है,

हम करारोपण जांच आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् उस का परीक्षण करेंगे और हमारी यह प्रस्थापना है कि यथासंभव शीघ्र एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया जाय, जिस से सारी कमियां दूर हो जायें। मुझे आशा है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को माननीय सदस्य भी पूरी सहायता देंगे और वह जानकारी में आ जाने वाले कर अपवंचन के मामलों से भी सरकार को अवगत कराते रहेंगे और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन मामलों की तुरन्त जांच कराई जायगी और समुचित कार्यवाही की जायगी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक, १९५४

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, १९४४, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय" ।

मेरे विचार में माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि कुछ समय पूर्व सभा में बीड़ी उद्योग में मशीनरी के प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ निर्देश किये गये थे । उस योजना को बीड़ी उद्योग में लगे हुए कर्मचारियों के लिए एक संकट कहा गया था । यह विधेयक उसी संकट का सामना करने के हेतु है ।

[श्री पाटस्कर पीठासीन हुए]

बीड़ी उद्योग एक श्रमिक प्रधान उद्योग है । इस में बहुत बड़ी संख्या में मज़दूर रखे जाते हैं अर्थात् बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां तथा अपाहिज भी इस व्यापार में भाग लेते हैं । बीड़ी बनाने का यह सारा काम मज़दूर अपने घरों पर ही करते हैं । बीड़ी निर्माता कुछ ठेकेदारों को रख लेते हैं, जिन्हें सट्टा वाला कहा जाता है । प्रत्येक निर्माता ५० या ६० सट्टे वाले रखता है । वह ठेकेदार निर्माताओं से तम्बाकू, लपेटे जाने वाले पत्ते और धागे ले कर अपने अपने श्रमिकों में इनका वितरण कर देते हैं । साधारणतया यह श्रमिक बच्चे, स्त्रियां अथवा अपाहिज व्यक्ति होते हैं । वह यह कार्य अपने घरों में ही करते हैं । इस उद्योग में इस समय लगभग छः लाख व्यक्ति लगे हुए हैं । वास्तव में यही एक पूर्णरूपेण कुटीर उद्योग है क्योंकि इस का काम घरों में किया जाता है ।

जब बीड़ी बनाने की मशीन लगाई गई तो प्राकृतिक रूप से इस से उन छः लाख श्रमिकों का रोज़गार संकट में पड़ गया । हमारे अनुमान के अनुसार यदि इस मशीन से काम करने की अनुमति दी गई तो ६५ प्रतिशत श्रमिक बेरोज़गार हो जायेंगे । यह मशीन एक घंटे में १,५०० बीड़ियां तैय्यार कर सकती है, जब कि एक सिद्धहस्त श्रमिक एक घंटे में केवल १२५ बीड़ियां ही बना सकता है । अतः आप एक साधारण श्रमिक तथा इस मशीन की प्रतियोगिता की स्थिति को स्वयं समझ सकते हैं । जब पहले से ही बेरोज़गारी की समस्या गंभीर है, तो यदि छः लाख श्रमिकों में से ६५ प्रतिशत श्रमिक और बेरोज़गार हो जाने को हों, तो निश्चित रूप से सरकार ऐसी परिस्थिति में तटस्थ नहीं रह सकती है । इसी कारण ३० जुलाई को एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिस के द्वारा एक हजार बीड़ियों पर तीन रुपये का उत्पादन शुल्क लगाया गया था ।

मेरे विचार में, मुझे यहां यह भी बताना चाहिये कि वास्तव में बीड़ी बनाने की इस मशीन ने कार्य आरम्भ नहीं किया है । केवल चार या पांच मशीनें बेची गई थीं, दो बम्बई में,

[श्री ए० सी० गुहा]

दो कलकत्ता में और एक बड़ौदा में। कलकत्ता में दोनों मशीनों से विक्रय के लिये बीड़ियां बनाई नहीं गई हैं, केवल उन्हें प्रदर्शन के लिये काम में लाया गया था। बम्बई में केवल उस के द्वारा २,७०,००० बीड़ियां बनाई गई थीं। बड़ौदा में भी उस मशीन से कुछ बीड़ियां बनाई गई थीं, परन्तु उन का विक्रय न हो सका, क्योंकि उपभोक्ताओं ने उन्हें खरीदना पसन्द नहीं किया, और अब उस व्यक्ति ने, जिस ने मशीन खरीदी थी, उन बीड़ियों को नष्ट करने के लिये सरकार से आज्ञा मांगी है।

इस अध्यादेश के जारी किये जाने के समय से, यह मशीन वास्तव में कार्य नहीं कर सकी है, अतः हम यह समझ सकते हैं कि अध्यादेश पर्याप्त रूप में प्रभावपूर्ण रहा है और जिस प्रयोजन के लिये वह जारी किया गया था वह सिद्ध हो गया है।

हम ने यह आगणन किया है कि हाथ से बनाई गई बीड़ियों की अपेक्षा मशीन द्वारा बनाई गई प्रति एक हजार बीड़ी पर लगभग १ रुपये १४ आने का लाभ होगा, और उत्पादन-शुल्क की दर को निर्धारित करने के लिये यह ही आधार रहा है। हम ने एक हजार बीड़ियों पर तीन रुपये उत्पादन शुल्क रखा है।

परन्तु जैसा कि मैं ने कहा है, मशीन द्वारा बनाई गई प्रति एक हजार बीड़ी, हाथ की बनाई हुई प्रति एक हजार बीड़ी से एक रुपया चौदह आना अधिक लाभ दे सकती है। अतः तीन रुपये प्रति हजार का उत्पादन शुल्क बीड़ी उद्योग में मशीन के चालू किये जाने की रोक के लिये पर्याप्त है।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : बीड़ी बनाने की मशीन का क्या मूल्य है ?

श्री ए० सी० गुहा : २,२०० रुपये। यह कोई बड़ी महंगी मशीन नहीं है। इसलिये यह भी एक बड़ी कठिनाई है जिस का सरकार को सामना करना है। यदि मशीन महंगी होती तो लोग संभवतः इसे न खरीदते। परन्तु जब यह सस्ती है, तब बहुत लोग दो या तीन हजार रुपया लगाने की स्थिति में होंगे; और इसी कारण सरकार ने तुरन्त कार्यवाही करना अत्यन्त उचित समझा ताकि इस मशीन का बिल्कुल ही प्रयोग न किया जाय।

मैं ने अभी कहा है कि इस उद्योग में छः लाख व्यक्ति कार्य करते हैं, और मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों को इन की राज्यवार संख्या जानने में रुचि होगी। यह उद्योग मुख्यतः चार राज्यों में केन्द्रित है। मध्यप्रदेश में १।। लाख श्रमिक हैं; बम्बई में १,५२,०००; मद्रास में ९६,०००; पश्चिमी बंगाल में ७२,०००; तथा शेष भारत में १,५०,०००।

मेरे विचार में यह बहुत ही साधारण विधेयक है। यह केवल एक खंड का विधेयक है और इस से सभा में बार बार प्रकट की गई भावनाओं की अभिपूर्ति होती है। इस में कोई भी विवादास्पद बात नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य विधेयक का हार्दिक समर्थन करेंगे। मैं विधेयक को सभा के विचार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मेरा एक संशोधन है तथा मैं विधेयक के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं मेरा प्रस्ताव है कि :

"विधेयक को बीड़ी मज़दूरों तथा बीड़ी बनाने तथा उन के विक्रय में

भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों की दिसम्बर १९५४ के प्रथम सप्ताह तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाय ।"

यद्यपि इस विधेयक में केवल एक खंड होने से यह बहुत साधारण सा ज्ञात होता है किन्तु इस के परिणाम तथा बारीकियां बहुत दूर तक प्रभाव डालेंगी ।

यह उद्योग बहुत असंगठित दशा में है । तथा यह गांवों तथा नगरों दोनों में कुटीर उद्योग के आधार पर चलता है । इस उद्योग की सब से बड़ी कमी यह है कि बीड़ी बनाने का कार्य परिवारों द्वारा किया जाता है । पहिले बीड़ी बनाने का उद्योग एक सहायक उद्योग था किन्तु इस उद्योग के क्रमिक विकास के कारण इस के मज़दूरों की एक विशेष श्रेणी बन गई है । मुझे माननीय मंत्री से ज्ञात हुआ है कि इस उद्योग में लगभग ६००,००० मज़दूर लगे हुए हैं । क्योंकि यह उद्योग असंगठित है इस कारण कारख़ाना अधिनियम भी इस में कड़ाई के साथ लागू नहीं होता है । सरकार ने भी अब तक इस उद्योग को संगठित करने के लिये कुछ नहीं किया है । उन्हों ने श्रमिकों के हितों को संरक्षण नहीं दिया है । इस उद्योग को संगठित करने में जो असफलता हुई है उस का मुख्य कारण सरकार की लापरवाह नीति है । मेरी समझ से इस विधेयक का प्रयोजन मशीनों द्वारा बनाई गई बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क लगाना है । प्रति हजार बीड़ियों पर तीन रुपये शुल्क लगाने का विचार है । माननीय मंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यांत्रिक प्रक्रिया को प्रारम्भ करने पर १ रु० १४ आ० प्रति हजार का लाभ होगा । क्या यह प्रतिषेधक नहीं है ? क्या इस से मशीनें लगाने पर रोक नहीं लगेगी ? आज बीड़ी उद्योग की क्या अवस्था है ? मेरे विचार से भारत में प्रति दिन ७५ करोड़ बीड़ियां बनाई जाती हैं । युद्ध काल में विदेशों में हमारी बीड़ियों की बहुत मांग थी । किन्तु अब पाकिस्तान ने बीड़ियों पर बहुत ऊंचा आयात-कर लगा दिया है । ब्रह्मा तथा लंका में भी अब स्थानीय रूप से बीड़ियां बनाई जाने लगी हैं तथा अब उपर्युक्त देश हमारी बीड़ियों का आयात नहीं करते हैं । किन्तु अब भी दूसरे देशों में हमारे लिये अच्छा बाजार है । दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, नेपाल तथा मध्य पूर्व के देशों में बीड़ी के बाजार की संभावनायें हैं । यदि हम विदेशी बाज़ारों पर अधिकार करना चाहते हैं तो बीड़ी के निर्माण को बढ़ाना अत्यावश्यक है तथा उत्पादन वृद्धि के साथ ही साथ उन के गुण प्रकार में भी सुधार होना चाहिये । इसलिये यदि हम बीड़ियों की क़िस्म पर नियंत्रण रख सकें तो हमें उन का प्रमापीकरण करना चाहिये तथा यदि उत्पादन की लागत पर्याप्त कम हो सके तो बीड़ी के निर्माण में वृद्धि होने की संभावना हो सकती है । धीरे धीरे मशीनें लगा कर हम श्रमिकों को विस्थापित नहीं करेंगे । इसलिये यांत्रिक प्रक्रिया तथा यांत्रिक टेकनीक को बीड़ी निर्माण में लागू न करना अनुचित है । मैं तो यह चाहूंगा कि सरकार बीड़ी निर्माण में वृद्धि करने, बीड़ी बनाने की प्रक्रिया का सुधार करने तथा विदेशों में बाज़ार ढूंढने के निमित्त कार्यवाही करे । इस के लिये यह आवश्यक है कि बीड़ी निर्माण में सहकारिता की प्रणाली चालू की जाय तथा मध्यस्थों एवं दलालों को, जो इस उद्योग में बहुत हैं, हटा दिया जाय ।

बीड़ी उद्योग की दृष्टि से हमें सस्ती सिगरेटों की प्रतियोगिता के प्रश्न पर भी विचार करना होगा । इस तीव्र प्रतियोगिता के सामने इस उद्योग को अधिक समय तक बनाये रखना कठिन होगा । अतः इस उद्योग को बढ़ाना तथा उसे प्रोत्साहन देना अत्यावश्यक है । यह मशीनें भी भारतीयों के द्वारा ही बनाई गई हैं । उन के निर्माण में भी मज़दूर लगे हैं । इस कारण श्रमिकों के विस्थापित

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

होने का कोई प्रश्न नहीं है। हम समस्त बीड़ी उद्योग को पलटना नहीं चाहते हैं। यदि आप अन्य समुचित उपाय करेंगे तो मशीनें लगाई जाने पर भी निर्माण प्रणाली में सुधार होना संभव है, तथा साथ ही साथ मज़दूरों की संख्या भी उतनी ही अथवा उस से अधिक बढ़ाई जा सकती है।

मेरे विचार से तीन रुपये प्रति हज़ार का शुल्क बहुत प्रतिषेधक है तथा हमें बीड़ी उद्योग में मशीनों के प्रयोग को प्रतिषिद्ध नहीं करना चाहिये। मैं अनुभव करता हूं कि यह दर अनुचित है। श्री साधन गुप्त ने इस को आठ रुपये कर दिये जाने का संशोधन रखा है। श्री माधव रेड्डी ने एक रुपये का सुझाव दिया है, मेरे विचार से शुल्क घटा दिया जाय तथा यह अच्छा होगा यदि हम इसे एक रुपया या डेढ़ रुपया नियत करें। यह उपयुक्त दर होगी।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : सभापति महोदय, अभी श्री गुरुपादस्वामी के भाषण को मैं ने सुना। मेरी समझ में नहीं आया कि इतने सीधे सादे बिल को उन्हों ने कमप्लेक्स कैसे बना दिया। आप लोगों की आदत है कि साधारण सी बात को भी कमप्लेक्स बना देते हैं। इतना सिम्पल बिल है कि मिनिस्टर साहब ने कुल चार पांच मिनट में उस को सदन के सामने रख दिया। लेकिन आप को उस को कमप्लेक्स बनाने में २५ मिनट लगे।

मुझे याद है जब श्री गुरुपादस्वामी के नेता श्री कृपालानी जी कांग्रेस के प्रेजिडेन्ट थे तो एक बार बिहार का टूर कर रहे थे। उन्हों ने विश्लेषण किया कि गांधीवाद में और समाजवाद में क्या अन्तर है। उन्हों ने कहा कि गांधीवाद बतलाता है कि शरीर में फोड़ा नहीं होने देना चाहिये, घाव नहीं होना चाहिये। लेकिन समाजवाद कहता है कि अगर शरीर में घाव हो तो साइंटिफिक तरीक़े से उस का इलाज करो और अच्छी छुरी से उस को काटो। इस तरह से उस को अच्छा करो। यही फर्क़ है। मैटर बहुत ही सिम्पल है। बीड़ी इन्डस्ट्री एक मैनुअल लेबर की इन्डस्ट्री है। उस के बनाने वाले जो गांव के लोग होते हैं उन के परिवार भर के लोग उन को बनाते हैं और परिवार भर के लोग काम करते हैं तब उन की आमदनी में कुछ ऐडीशन होता है। अब मशीन ईजाद हो गई है। इस से यह हुआ कि वह मशीन १२ या १५ आदमियों का काम अकेले एक आदमी से करा लेती है। आज बीड़ी की जितनी खपत देश में होती है या जितनी बाहर जाती है, उस का हिसाब लगाया जाय तो उतनी बीड़ियां थोड़े समय में ही मशीन के द्वारा थोड़े आदमियों से बनाई जा सकती हैं। गवर्नमेन्ट ने इस परिस्थिति को देखा और बेकारी अधिक न बढ़ जाय, साथ ही मशीन ख़रीदने वालों को भी कोई ज्यादा ख़र्चा न पड़ जाय या अधिक लोग मशीन न ख़रीदें, इस को बचाने के लिये फौरन उस ने स्टेप लिया, और स्टेप ले कर एक आर्डिनेन्स निकाला जिस में बीड़ी मशीन द्वारा बनाना प्राहिबिट हो जाय। उस आर्डिनेन्स के मुताबिक़ जो बीड़ी बनाने वाले लेबरर्स हैं या जो इस इन्डस्ट्री में काम करने वाले हैं उन को प्रोटेक्शन दिया। उसी आर्डिनेन्स को क़ानून का रूप देने के लिये यह बिल आया है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कितना समय और लेंगे ?

पंडित डी० एन० तिवारी : दस मिनट और।

सभापति महोदय : अब सभा स्थगित होती है और सोमवार को ११ बजे पुनः समवेत होगी।

इस के पश्चात् लोक सभा सोमवार, २० सितम्बर, १९५४ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।